अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

क्रमांक/प्रशासन/कार्य परिषद/2022/204 रीवा, दिनांक 25-04-22

कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 का कार्यवृत्त

कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 13 अप्रैल 2022 को प्रातः 11.30 बजे प्रो. बी.आर.बी. माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही—

1.	डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर शुभा तिवारी	सदस्य
3.	डॉ. अंजू सिंह	सदस्य
4.	डॉ. ऊषा नीलम	सदस्य
5.	डॉ. सी.बी. सोंदिया	सदस्य
6.	डॉ. पंकज श्रीवास्तव	सदस्य
7.	श्री राम कुमार प्रजापति	सदस्य
8.	डॉ. के.के. त्रिपाठी	सदस्य
9.	श्रीमती सरोज गूजर	सदस्य
10.	श्रीमती संचिता सर्वटे	सदस्य
11.	श्री अजय मिश्रा	सदस्य
12.	श्री प्रकाश त्रिवेदी	सदस्य
13.	श्री दीपक कुमार सोनी	सदस्य
14.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह परिहार, कुलसचिव	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी माननीय कार्य परिषद सदस्यों का स्वागत, वन्दन एवं अभिनन्दन किया । माननीय कुलपति जी व्दारा नव नियुक्त कार्य परिषद सदस्य श्री दीपक सोनी एवं प्रोफेसर शुभा तिवारी जी का प्रथम बैठक आगमन पर बुके व्दारा स्वागत किया गया । तदुपरान्त कुलसचिव जी व्दारा बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुमति से प्रारंभ की गई ।

1. **कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक 08.03.2022 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना ।**

निर्णय —कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 8.3.2022 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही — प्रशासन विभाग

2. **कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 26.11.2021 एवं आपात बैठक दिनांक 08.3.2022 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

निर्णय —पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही — प्रशासन विभाग

3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठकों में परिनियम 27,28,से सम्बन्धित लिये गये निर्णय बैठक दिनांक 28.10.2021, 31.12.2021, 15.02.2022, 09.03.2022, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

4. विश्वविद्यालय की अगामी परीक्षाओं हेतु पूरक/सेशनल/प्रायोगिक की कुल 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट से रूपये 22,68,000,00 (बाइस लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट से रूपये 22,68,000/– (बाईस लाख अड़सठ हजार) मात्र की नियमानुसार पशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

5. विश्वविद्यालयीन वाहनों के मरम्मती एवं रख रखाव हेतु वित्तीय सीमा/अधिकार राशि 30000/–(तीस हजार रूपये) के स्थान पर 50,000/–(पच्वास हजार रूपये) बढ़ाये जाने वावत्। रीवा जिला, सतना जिला, सीधी जिला, सिंगरौली जिला, शहडोल जिला, उमरिया जिला, अनूपपुर जिला एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु– अन्य प्रदेशें में भी वाहन को भेजा जाता है। रूपये–30,000/– में जिसमें गोपनीय/परीक्षा पूर्ण कराना सम्भव प्रतीत नही होता है। इसलिए प्रतिवाहन 30,000/– के स्थान पर रूपये–50,000/– किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – वित्तीय सीमा अधिकार राशि में विश्वविद्यालयीन वाहनों के मरम्मतीकरण एवं रख–रखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रतिवाहन के लिये रूपये 50000/–(पचास हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

6. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 के निर्णय अनुसार छात्र अपूर्व सक्सेना पिता श्री अजय कुमार सक्सेना एल.एल.एम. परीक्षा प्रथम (द्वितीय टर्म) की छात्र हित में अंकसूची प्रदाय के सम्बन्ध में।

1. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) परीक्षा दिसम्बर 2019 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र सम्मिलित किया विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को अनुक्रमांक 1916400032 आवंटित किया गया किन्तु छात्र परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ, परीक्षाफल अनुपस्थित रहा।
2. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) परीक्षा जून 2020 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र सम्मिलित कर परीक्षा में सम्मिलित हो गया किन्तु परीक्षाफल अपूर्ण रहा। (W)
3. छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) परीक्षा दिसम्बर 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षा में पहले, एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) की परीक्षा में बाद में सम्मिलित होने के कारण एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षाफल जारी नही किया गया है। अध्यादेश क. 22 के Section (6) में एल.एल.एम. प्रथम (टर्म प्रथम) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर एल.एल.एम. प्रथम (टर्म द्वितीय) की परीक्षा में सम्मिलित होना प्रावधानित है किन्तु अनुपस्थित का नही है। (Ordinance संलग्न)

rmila koi

निर्णय–विशेष परिस्थिति में अंकसूची प्रदानकरने की अनुमति प्रदान की गई । छात्र अपूर्व सक्सेना का LLM I(II Term) परीक्षा जून 2020 एवं LLM I(I Term) दिसम्बर परीक्षा 2020 को मान्य कर LLM I(II Term) का परीक्षाफल घोषित कर अंकसूची जारी की जाय, तथा भविष्य में उदाहरण नहीं माना जाय।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

विश्वविद्यालय द्वारा जारी शिक्षकों के विज्ञापन कमांक/कार्मिक/2022/298 दिनांक 1 अप्रैल 2022 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –विश्वविद्यालय व्दारा जारी शिक्षकों के विज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2022 की सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

सत्र 2021–2022 के लिए अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण शुल्क में लगाये जाने वाले अधिभार के संबंध की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय –सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

थाना भवन के लिये जमीन उपलब्धता हेतु गठित समिति का निर्णय तथा तद्नुसार विधिकराय विचारार्थ।

निर्णय – थाना भवन के लिये जमीन उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु भविष्य में अतिरिक्त जमीन की स्वीकृति प्रदान न की जाय । थाना हेतु आबंटित जमीन में निर्धारित सीमा रेखा में बाउण्ड्री बाल का निर्माण करें ।

कार्यवाही – विद्युत विभाग

म.प्र.शासन उच्चशिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक 48/27/2022/38–3 भोपाल दिनांक 13.01.2022 छात्रों के उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

म.प्र. के अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों की भांति,सातवें वेतनमान के आधार पर दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों /शिक्षकों/ अधिकारियों को उपादान (ग्रेच्युटी) अधिकतम रूपये 20 लाख मात्र का भुगतान किया जाना मान्य करना। विचारार्थ।

निर्णय – अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में अधिकतम 20 लाख रूपये उपादान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

12. श्रीमती प्रमिला मिश्र, से.नि. कार्य सहायक सेवा के दौरान आस्वथता के कारण दिनांक 03.03.2021 से 01.06.2021 तक कुल 91 दिवस का लघुकृत अवकाश की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

निर्णय – 91 दिवस का लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

13 . पूर्व माध्यमिक विद्यालय विश्वविद्यालय परिसर में पदस्थ शिक्षकों के समयमान वेतनमान पर विचार करना।

1. श्री आनन्द बहादुर सिंह सहायक शिक्षक 2. श्री रामनरेश दुबे सहायक शिक्षक
3. श्री उमाकांत मिश्र, सहायक शिक्षक 4. श्री गोपालदास तिवारी सहायक शिक्षक
5. श्री रविकान्त रावत, सहायक शिक्षक को पात्रता तिथि से समयमान वेतनमान प्रदाय कये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों को समयमान वेतनमान नियमानुसार प्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन शासन को पुनर्विचार एवं शिक्षक हितों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

14. समस्त सम्बद्व शास0/अशास0 महाविद्यालयों की सम्बद्वता आवेदन/सम्बद्वता शुल्क की राशि सत्र 2022–2023 से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु विचारार्थ।

निर्णय – प्रस्ताव मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

15. राजभवन के अपर सचिव के पत्र कमांक/1254/रा.स./यू.ए.–3/2021 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 पर विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय – राजभवन के पत्र कमांक/1254/रा.स./यू.ए.–3/2021 दिनांक 6 दिसम्बर 2021 पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण करवाया जाय । इसके लिये वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक समिति बनाकर तत्संबंधी अनुशंसा आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें । समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

16. राजभवन भोपाल के पत्र कमांक/113/रा.स./यू.ए.–3/2022 दिनांक 19 जनवरी 2022 के संबंध में विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय –राजभवन के पत्र कमांक/113/रा.स./यू.ए.–3/2022 दिनांक 19 जनवरी 2022 पर विचार करते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय व्दारा प्रेषित पत्र दिनांक 29 अगस्त 2020 के प्रकाश में निर्णय लिया गया कि डॉ. रहस्यमणि मिश्र की व्याख्याता पद पर कार्यालयीन त्रुटिवश जारी अग्रिम आदेश तक नियुक्ति संबंधी आदेश कमांक/कार्मिक/3583–89 दिनांक 01.05.1984 को निरस्त मानते हुये "अग्रिम आदेश तक नियुक्त किया जाता है, के स्थान पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.05.1984 के निर्णय के अनुकम में नियमित रूप से परिवीक्षावधि पर नियुक्त् किया जाता है", को मान्य किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

Sharmila kol

17. राजभवन भोपाल के पत्र कमांक/340/रा.स./यू.ए.–3/22 दिनांक 9 मार्च 2022 के संबंध में विचार। पत्र पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

निर्णय – राजभवन के पत्र कमांक/340/रा.स./यू.ए.–3/22 दिनांक 9 मार्च 2022 पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि संबंधित आचार्य अपना न्यायालयीन प्रकरण वापिस लेते हैं एवं शासन के नियमानुसार वरिष्ठता का लाभ लेने के लिये सहमति प्रदान करते हैं तो उनको नियमानुसार इसका लाभ दे दिया जाय । इस शर्त के आधार पर प्रकरण मान्य किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

18. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ–51/2013/1/ 3 भोपाल दिनांक 7.10.2016 द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायी कर्मी में विनियोजित करने सम्बन्धी गठित समिति की बैठक दिनांक 7.3.2022 की अनुशंसा को अनुमोदित करने पर विचार करना।

निर्णय–समिति की अनुशंसा मान्य की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

पूरक कार्यसूची

1. महगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 11 प्रतिशत की माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4)के अन्तर्गत भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. चिकित्सा देयक के संबंध में श्री व्यासमुनि मिश्र, बस परिचालक को कैंसर हेतु आदेश कमांक/कार्मिक/2021/547 दिनांक 19.7.2021 को रूपये 3.04.080/– की अग्रिम प्रदाय किया गया था। के विरूद्व कुल व्यय रूपये 3.15.340/– समायोजन हेतु विचारार्थ।

निर्णय–श्री व्यासमुनि मिश्रा, बस परिचालक को कैंसर के ईलाज हेतु विश्वविद्यालय व्दारा प्रदाय अग्रिम रूपये 3,04,080/– के विरूध्द व्यय राशि रूपये 3,15,340/– समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

3. श्री विद्याधर पाण्डेय कार्य सहायक राज्य के बाहर कराये गये उपचार पर हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति रू. 67144 (सरसठ हजार एक सौ चौवालीस रूपये मात्र) की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।

निर्णय – नियमानुसार रूपये 67144/– की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

RFRF द्वारा नैक संबंधी कार्य हेतु व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बावत्।
प्रस्ताव–(A) RFRF द्वारा नैक को AQAR Submission हेतु अकादमिक एवं प्रशासनिक
सहयोग बावत कोटेशन मान्य किया जाकर रूपये 3.00.000=00 (तीन लाख) का अग्रिम
भुगतान किया गया RFRF के सहयोग से AQAR गत पांच वर्षो का नैक को प्रस्तुत किया
जा चुका है। अतः "A" कार्य संपादन उपरांत सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।
(B) RFRF के द्वितीय प्रस्ताव में SSR Submission तथा संबंधित कार्यवाही हेतु रूपये दो
लाख अग्रिम एवं एक लाख SSR Submission के पश्चात् तथा रूपये एक लाख Post
Submission Queries for NAAC निराकरण हेतु का कोटेशन द्वारा कुल रूपये 4.00.
1 000=00 (चार लाख) की मांग की गई है। अतः "B" प्रस्ताव हेतु कुल रूपये 4.00.
000=00 (चार लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति करने पर विचार करना।

निर्णय– आर.एफ.आर.एम. व्दारा नैक संबंधी कार्यवाही हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – नैक मूल्यांन विभाग

5. विद्यापरिषद की स्थायी समितियों की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.04.2021 से 12.04.
2022 से 05.04.2022 तक एवं पी.एच.डी. अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 से 31.03.2022
तक को कार्य परिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय –अनुमोदित ।

कार्यवाही – विकाश विभाग

6. विश्वविद्यालय सीमा पर वाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु बजट प्रावधान वावत् विचारार्थ।

निर्णय –विश्वविद्यालय सीमा पर बाउण्ड्री बॉल के निर्माण हेतु रूपये 50.00 लाख का प्रावधान मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

7. विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों की सुरक्षा के संवंध में, विश्वविद्यालय सुरक्षा हेतु ई निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के अनुमोदन परान्त विभिन्न प्वांइट पर सुरक्षा प्रहरियों की आवश्यकतानुसार कुल 36 सुरक्षा प्रहरियों से जारी कार्य आदेश के माध्यम से कार्यो का संपादन तीनो पाली में कराया जा रहा है। जिसमें 12–12 की संख्या में तीनो पालियों में सुरक्षा कर्मी लगाये गये है, जिसकी संक्षम स्वीकृति एवं कार्य अनुमति अनुमोदन हेतु विचरार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

8. विश्वविद्यालय परिसर के कुल 36 भवनों की साफ सफाई व्यवस्था के संवंध में,

उपरोक्त विषर्यान्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर स्थिति विभिन्न शैक्षणिक/अशैक्षणिक भवनो की साफ सफाई हेतु प्राप्त ई निविदाओं के माध्यम से प्राप्त अनुमोदित दरो के अनुसार कार्य आदेश के माध्यम से कुल 16 सफाई श्रमिकों एवं दो कुशल श्रमिकों सहित कुल 19 अनुबंधित सफाई कर्मियो (कुशल/अकुशल) से टीप संक्षम स्वीकृति एवं कार्य परिषद से अनुमोदन हेतु विचारार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

कार्यवाही – विद्युत यंत्री विभाग

Sharmila kol

9. विश्वविद्यालय में ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर (कुशल दरों पर) रखे जाने हेतु आउट सोर्स के माध्यम से कार्यालयीन आवश्यक कार्यों हेतु कम से कम 10 कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने पर विचार करना।

टीप– विश्वविद्यालय में लगातार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण कर्मचारियों के अभाव में आवश्यक कार्यों के निष्पादन मे कठिनाई एवं दक्षता प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा में विश्वविद्यालय में ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर (कुशल दरों पर) रखे जाने हेतु आउट सोर्स के माध्यम से कार्यालयीन आवश्यक कार्यों हेतु कम से कम 10 कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने हेतु अनुमति/अनुमोदनार्थ।

निर्णय – प्रकरण मान्य किया गया ।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

10. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/1234/2744/2019/38–3 दिनांक 11.10.2021 जो मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार जारी आदेश में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में कार्यरत 84 कर्मचारियों के प्रकरण को माननीय कार्यपरिषद द्वारा पुर्नविचार किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय – चूंकि यह प्रकरण शासन स्तर पर नस्तीबध्द किया जा चुका है, परन्तु कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुये कार्य परिषद की ओर से प्रकरण की स्वीकृति के लिये पुनर्विचार किये जाने हेतु शासन को पुनः प्रकरण प्रेषित करें ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

11. प्रो.आर.बी.मिश्र, सेवा निवृत्त आचार्य, गणितीय विज्ञान विभाग के अनुपस्थित अवधि को गठित समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 850 दिवस का अवैतनिक अवकाश सम्बन्धी अनुशंसा को मान्य करने हेतु विचारार्थ।

निर्णय – विशेष परिस्थिति में 850 दिवस का अवैतनिक अवकाश नियमानुसार मान्य किया गया ।

12. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।** कार्यवाही – कार्मिक विभाग

1. विश्वविद्यालय में पदस्थ स्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति प्रतिमाह रूपये 2000/– (अंकन दो हजार) मात्र भुगतान पर विचार ।

निर्णय – इस संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की कार्य परिषद व्दारा अपने कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 2000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में इस विश्वविद्यालय में पदस्थ स्थायी कर्मियों को प्रतिमाह रूपये 2000/– चिकित्सा भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कार्यवाही -- कार्मिक विभाग

2. प्रोफेसर सी.डी. सिंह की अमरकण्टक विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जांच के संबंध में विचार करना ।

निर्णय – सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुलसचिव, अमरकण्टक विश्वविद्यालय व्दारा ई–मेल के जरिये यह सूचित किया गया है कि उनके यहां यह प्रकरण समाप्त किया जा चुका है । चूंकि यह प्रकरण प्रोफेसर सी.डी. सिंह के अमरकण्टक विश्वविद्यालय में कुलपति पद के कार्यकाल का है, तथा इस विश्वविद्यालय से उसका कोई संबंध नहीं है । अतः प्रकरण नस्तीबध्द किया जाता है ।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

अंत में सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्मानीय सदस्यगण
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
8. अनुभाग अधिकारी प्रशासन
9. संबंधित नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

armila kol

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / प्रशासन / कार्यपरिषद् / 2018 / 39 रीवा, दिनांक 18-07-2018

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018 दिन–सोमवार अपरान्ह् 3.00 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	–	सदस्य
3.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
4.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	प्रो0 जगदीश प्रसाद सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	–	सदस्य
8.	श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
9.	डॉ0 क्षितिज पुरोहित	–	सदस्य
10.	श्री रवीन्द्र चौहान	–	सदस्य
11.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	–	सदस्य
12.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
13.	श्री लाल साहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	–	सदस्य / सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेषकर नव नियुक्त कार्य परिषद् सदस्य डॉ0 क्षितिज पुरोहित एवं श्री रवीन्द्र चौहान का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की, तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी माँग पर विचार करना।

निर्णयः– विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी प्रकरण पर सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा कार्यपरिषद् सदस्य डॉ0 एस0एस0 तिवारी के प्रस्ताव पर नियमित पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 विजय मिश्र तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 एस0पी0 सिंह को सदन में बुलाकर उनका पक्ष सुना गया। इसके बाद सदन की अनुमति से प्रोफेसर एन0पी0 पाठक, संचालक, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम तथा

वित्त नियंत्रक डॉ0 श्रीमती पुष्पा सोनवानी को आमंत्रित किया गया तथा प्रावधान एवं वित्त संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। तदुपरान्त सदन द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये :–

अ– नियमित विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि का प्रकरण प्रवेश प्रक्रिया सत्र (सत्र 2018–19) समाप्ति के उपरान्त छात्र संख्या एवं आय/व्यय की गणना के साथ कार्यपरिषद की अगली बैठक में मानदेय के संबंध में विचार विमर्श हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।

ब– इस बीच राज्य के अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालयों में उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर भी कार्यपरिषद् में विचार किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक/वित्त/स्ववित्तीय पाठ्यक्रम

2. कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि रुपये–62 लाख व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः– कौशल विकास योजनान्तर्गत सी0आई0आर0 द्वारा विश्वविद्यालय से अनुबंध किया गया है तथा इसके लिये रुपये 61.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी सूचना कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2018 में ग्रहण की जा चुकी है। तत्संबंध में कलेक्टर, रीवा के माध्यम से विश्वविद्यालय को रुपये–20.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। अतः सर्वसम्मति से रुपये–20.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस केन्द्र में विश्वविद्यालय का भी प्रशासकीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय को इस केन्द्र का वास्तविक लाभ मिल सके।

कार्यवाही – भण्डार विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित सभी माननीय अध्यक्ष/सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 18.7.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2018/46 रीवा, दिनांक 07/08/2018

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 जून 2018
कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 जून, 2018 दिन–शनिवार पूर्वान्ह् 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	–	सदस्य
3.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
4.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
6.	प्रो0 जगदीश प्रसाद सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	–	सदस्य
8.	श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
9.	श्री गजेन्द्र दुबे	--	सदस्य
10.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	–	सदस्य
11.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
12.	श्री लाल साहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	–	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेष रूप से संकायाध्यक्ष संवर्ग से नियुक्त कार्यपारषद् सदस्य प्रोफेसर अतुल पाण्डेय, प्रोफेसर महेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस0पी0 सिंह एवं प्रोफेसर श्रीमती अर्चना गुप्ता का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय विकास में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की। सदन को जानकारी दी गई कि डॉ0 आनंद काम्बले की अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रभारी कुलसचिव के रूप में श्री लाल साहब सिंह बैठक में उपस्थित हैं। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 16 मार्च 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–अनुमोदित।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 16 मार्च 2018 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 24 फरवरी की पूरक कार्यसूची के बिन्दु क्रमांक 6 के (3) पर जानकारी दी गई कि श्रीमती शकुन्तला सिंह के पारिश्रमिक का भुगतान हो

चुका है तथा श्री विजय सिंह, श्री धर्मेन्द्र सक्सेना एवं श्री रामकुशल कोरी का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। अतः इस आशय का संशोधन मान्य करते हुये पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये पर विचार करना।

टीप– म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 में राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 को अधिसूचित म0प्र0 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 से राज्य शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है।

विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु हेतु म0प्र0 शासन के आदेश लागू होते हैं। समन्वय समिति के 93वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार परिनियम–31 के 3 (a) **The age of retirement of a University Officers and employees (Non-teaching) shall be at par with the State Govt. employees.** का उल्लेख है।

अतः उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित अधिवार्षिकी आयु संशोधन को यथावत् अंगीकार किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–प्रकरण पर विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 को अधिसूचित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश तथा म0प्र0 शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक आर–798/1018/2018/नियम/चार दिनांक 27.04.2018 तथा समन्वय समिति की 93वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 में अनुमोदित परिनियम क्रमांक 31 के बिन्दु 3ए में उल्लिखित प्रावधान **(The age of retirement of a University Officers and employees (Non-teaching) shall be at par with the State Govt. employees)** अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त गैरशैक्षणिक कर्मचारियों (जिनकी सेवा निवृत्ति आयु पूर्व में 60 वर्ष थी) की सेवा निवृत्ति आयु मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के समान 62 वर्ष करने के प्रस्ताव को सिद्धांततः मान्य किया गया। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराते हुये उचित मार्गदर्शन एवं निर्देश प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

4. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4–2/2018/नियम/चार, भोपाल दिनांक 16 मई 2018 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

5. कर्मचारी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 16.05.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार ऋण आवंटन राशि में संशोधन की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही—कार्मिक विभाग

6. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08.05.2018 एवं 23.05.2018 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः—विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 08.05.2018 एवं 23.05.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही — अकादमिक विभाग/विकास विभाग

7. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच.डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 11.01.2018, 22.01.2018, 24.01.2018, 29.01.2018, 06.02.2018, 13.02.2018, 21.02.2018, 24.02.2018, 01.03.2018, 21.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 09.05.2018, 23.05.2018 एवं 14.05.2018 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः—सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही — अकादमिक विभाग

8. रसायनशास्त्र विभाग में एफटीआईआर (**Model Alpha-T**) **Bruker Germany** के क्रय करने की अनुमानित लागत लगभग—12,00,000/— होगा, जो विभागीय मद से क्रय किया जावेगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः—रसायनशास्त्र विभाग में एफटीआईआर (**Model Alpha-T**) **Bruker Germany** के क्रय करने हेतु रुपये—12,00,000/— (अंकन रुपये बारह लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। विभाग द्वारा नियमानुसार क्रय प्रक्रिया का पालन किया जाय।

कार्यवाही — रसायनशास्त्र विभाग

9. अपर संचालक (वित्त), कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 424/165त/आउशि/पेंशन/2018 भोपाल, दिनांक 17.04.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2014 से छठवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण एवं समयमान प्रकरणों के पेंशन एरियर्स राशि के भुगतान हेतु भागीदार विश्वविद्यालयों से वर्ष 2018 से प्रति विश्वविद्यालय 03 करोड़ के मान से स्वयं के स्त्रोतों से कारपस फण्ड में राशि जमा किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः—प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही — वित्त विभाग

10. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1018/434/2011/38—3 भोपाल, दिनांक 31.10.2014 के अनुक्रम में पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु कारपस फण्ड की चतुर्थ किस्त

रुपये–2 करोड़ माननीय कुलपति जी के अनुमोदन पश्चात् शासन को प्रेषित की गई है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – वित्त विभाग

11. श्री इन्द्रभान गुप्ता, वरिष्ठ कार्य सहायक को स्वयं की बीमारी–सीएडी की जांच/उपचार के चिकित्सा देयक कार्या0 अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के पत्र पृ0 क्रमांक 538–39/रेफरल/एमसी/2018 रीवा, दिनांक 31.05.2018 के द्वारा रुपये–1,56,578/– (एक लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपये मात्र) परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है। भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः–सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि श्री इन्द्रभान गुप्ता, वरिष्ठ कार्य सहायक के द्वारा स्वयं की बीमारी का उपचार राज्य के बाहर कराने पर हुये व्यय की राशि रुपये 1,56,578/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु इस प्रकरण पर श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यालय अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/538/39/रेफरल एमसी/2018 दिनांक 31.05.2018 के अनुसार प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

12. समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4,4सी, 4डी एवं परिनियम क्रमांक 1ए 27, 28, 36 तथा 38 का अनुमोदन किया गया है, को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः–समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 4, 4सी, 4डी एवं परिनियम क्रमांक 1ए 27, 28, 36 तथा 38 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

13. समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 के विषय क्रमांक 23 में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-9492/2015, WP-9453/2015 तथा WP-8186/2017 एवं WP-8187/2017 द एज्यूकेशन सोसायटी विरुद्ध शासन। (अशासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय तथा अशासकीय विधि महाविद्यालय, प्रेम नगर, सतना) के संबंध में उक्त महाविद्यालयों का मान्यता समाप्ति का निर्णय बरकरार रखा गया है, की सूचना ग्रहण किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः– सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – विकास विभाग

14. विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 में बी0वॉक तथा एम0वॉक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेशों को सभी विश्वविद्यालयों के लिये मान्य किया गया है। अतः इस विश्वविद्यालय में इन दोना अध्यादेशों को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णयः—विश्वविद्यालय की समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 में बी0वॉक तथा एम0वॉक पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रकरण मान्य किया गया।

कार्यवाही —प्रशासन विभाग

15. दि कॉलेज ऑफ लॉ एण्ड लीगल एड. शहडोल को माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जिसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही —परीक्षा विभाग

16. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.06.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः— अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही — अकादमिक विभाग/विकास विभाग

पूरक कार्यसूची :—

1. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच. डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 06.06.2018 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही —अकादमिक विभाग

2. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 18.06.2018 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः—विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.06.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही — अकादमिक विभाग/विकास विभाग

3. जिलाध्यक्ष, रीवा द्वारा दैनिक वेतन एवं मस्टर श्रमिकों की बढ़ाई गयी दरों को विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/मस्टर श्रमिक कर्मचारियों को लागू किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः—मान्य।

कार्यवाही —कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

4. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर 2017, सेमेस्टर परीक्षाओं एवं स्वाध्यायी सेमेस्टर परीक्षा जून 2017 में विभिन्न विषयों में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को अध्यादेश क्रमांक—6 की कण्डिका—23 (एफ) एवं नवीन विनियम क्रमांक—20 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत दिये गये दण्ड की अधिसूचना ग्रहण करना।

निर्णयः—सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही —गोपनीय विभाग

5. अध्यक्ष/प्राचार्य बी0एन0पी0 मेमोरियल डिग्री कालेज, ग्राम—जोरी, गड्डी रोड जिला—रीवा को अस्थायी संबद्धता माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4)

के अंतर्गत महाविद्यालय को 2018–19 की अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई है, जिसके अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय:–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही –विकास विभाग

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण –

1. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय पारित किये गये –

अ– अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोचिंग सेल के कर्मचारी जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक/प्रशासनिक विभागों में कार्यरत हैं–श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री विजय सिंह एवं श्री रामकुशल कोरी द्वारा अद्यावधि किये गये कार्य का पारिश्रमिक (अकुशल श्रेणी मान्य कर) तत्काल भुगतान किया जाय। इन कर्मचारियों की विश्वविद्यालय में आवश्यकता का परीक्षण करने हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया गया –

1.	प्रो0 जे0पी0 सिंह, कार्यपरिषद् सदस्य	–	संयोजक
2.	प्रो0 अतुल पाण्डेय, कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
3.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी, कार्यपरिषद् सदस्य	–	सदस्य
4.	अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)	–	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

ब– मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी संबंधी आदेश शीघ्र प्रसारित किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

स– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से एरियर्स भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति/आदेश प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग/ वित्त विभाग

2– सदन में उपस्थित सभी कार्यपरिषद् सदस्यों ने डॉ0 पी0के0 राय के कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत पदोन्नति होने के फलस्वरूप अद्यावधि वेतन निर्धारण न होने का प्रकरण उठाया तथा अद्यावधि भुगतान न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की। इस प्रकरण को शीघ्र ही निराकृत कराने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। डॉ0 पी0के0 राय को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के तहत चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् द्वारा मान्य किया जाकर पदोन्नत किया गया है। अतः प्रकरण पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को लिखा जाय, जिसकी वजह से एक वर्ष का विलम्ब हुआ। अगली कार्यपरिषद् की बैठक में की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

3-- डॉ0 अर्चना गुप्ता, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा श्री मोलई प्रसाद यादव, भृत्य का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का विधिवत् परीक्षण करने हेतु बिन्दु क्रमांक-1 (अ) में गठित समिति मान्य की गई। समिति का प्रतिवेदन अगली कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही -कार्मिक विभाग

4. कौशल विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा C.I.I. से हुये अनुबंध की सूचना ग्रहण करना।

टीप- राज्य सरकार के द्वारा जिलाधिकारी, रीवा के सहयोग से प्रस्तावित कौशल विकास के लिए C.I.I. तथा विश्वविद्यालय के बीच एक अनुबंध किया गया है, जिसके द्वारा 3500 युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी C.I.I. को दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए शासन द्वारा 61 लाख रुपया विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका उपयोग इस कार्यक्रम के लिए किया जायेगा। इसके लिये कलेक्टर, रीवा के माध्यम से 20 लाख रूपये विश्वविद्यालय को प्राप्त भी हो चुका है।

निर्णयः-कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा हुये अनुबंध की सूचना ग्रहण की गई तथा इस अनुबंध हेतु सदन ने माननीय कुलपति जी को बधाई दी।

कार्यवाही - भण्डार विभाग / C.I.I. प्रकोष्ठ

5. E.P.F. सलाहकार, श्री गुलाबराज त्रिपाठी का मानदेय भुगतान के संबंध में विचार का निर्णय लेना।

टीप- श्री गुलाबराज त्रिपाठी, E.P.F. सलाहकार से माह नवम्बर 2015 से E.P.F. प्रकरणों में सलाहकार के रूप में कार्य लिया जा रहा हे साथ ही इनके द्वारा E.P.F. चालान प्रेषण संबंधी कार्य भी किया जाता है। इस हेतु श्री त्रिपाठी को प्रतिमाह रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) मानदेय एवं रुपये 1500/- (एक हजार पाँच सौ रुपये मात्र) प्रति पेशी E.P.F. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में उपस्थित होने हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 जनवरी 2017 की पूरक कार्यसूची के आयटम क्रमांक-04 में भुगतान हेतु मान0 कुलपति जी को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है, किन्तु वर्ष 2015 से अभी तक श्री त्रिपाठी को मानदेय एवं पेशी में उपस्थित होने के क्लेम का भुगतान लंबित है। मान0 कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा प्रदान करने हेतु तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रो0 जे0पी0 सिंह-संयोजक, प्रो0 एन0पी0 पाठक एवं प्रो0 ए0पी0 मिश्रा सदस्य थे। समिति द्वारा अनुशंसायें पंजी में अंकित हैं, जो प्रस्तुत हैं।

अतः श्री त्रिपाठी को 2015 से अब तक कुल रुपये-1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) मानदेय का भुगतान उपरोक्त कार्य हेतु किया जाना है।

निर्णयः-वित्त नियंत्रक के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि श्री गुलाव राज त्रिपाठी, ई0पी0एफ0 सलाहकार को कार्य के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाय।

कार्यवाही -वित्त विभाग

कार्यपरिषद् सदस्य एडवोकेट श्री गजेन्द्र दुबे एवं प्रोफेसर कमलेश मिश्र का कार्यकाल माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पूर्ण हो रहा है। अतः माननीय कुलपति जी एवं कार्यपरिषद् के

अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा विश्वविद्यालय के विकास एवं उत्थान में दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया।

अंत में कुलसचिव ने माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया एवं बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2018/02 रीवा, दिनांक 05-01-2019

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को मध्यान्ह् 12.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :—

1. प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	—	सदस्य
3. डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	—	सदस्य
4. श्री प्रवीण सिंह, (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	—	सदस्य
5. डॉ0 क्षितिज पुरोहित	—	सदस्य
6. श्री रवीन्द्र चौहान	—	सदस्य
7. डॉ0 एस0एस0 तिवारी	—	सदस्य
8. प्रो. सत्येन्द्र शर्मा (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा)	—	सदस्य
9. डॉ0 बृजेश सिंह, कुलसचिव	—	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित समस्त कार्य परिषद् सदस्यों का स्वागत किया, तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण पर सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

1. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः— कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 16 अक्टूबर 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही — प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही— प्रशासन विभाग

2. **ई0पी0एफ0 की राशि का डेमेज एवं ब्याज रुपये–07,28,121/– (सात लाख अट्ठाईस हजार एकं सौ इक्कीस मात्र) अवधि दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।**

निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ई.पी.एफ. की डेमेज एवं विलम्ब की ब्याज राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय एवं ई.पी.एफ. सलाहकार को सेवा से पृथक करते हुये विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को प्रशिक्षित कर नया पासवर्ड उपलब्ध करवाकर उक्त कार्य का सम्पादन कराया जाय तथा ब्याज राशि को कम करने हेतु संबंधित संस्थान को पत्र लिखा जाय।

कार्यवाही – वित्त विभाग

3. **राजभवन के पत्र क्रमांक/1757/रास/यूए–3/2018 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 पर विचार करना।**

निर्णयः– प्रकरण में माननीय कुलपति जी ने सदन के समक्ष राजभवन का पत्र कमांक/1757/रास/यूए–3/2018 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 प्रस्तुत किया, जिस पर कार्य परिषद ने गंभीरता से विचार किया और संबंधित व्यक्ति डॉ. पी.के. राय द्वारा माननीय कुलपति जी को दिये गये जवाब की जानकारी भी ली गई एवं डॉ. राय के पक्ष को मौखिक रूप से भी सुना गया। कार्य परिषद के ध्यान में यह लाया गया है कि इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 29711/2018 विचाराधीन है इसलिये इस मुद्दे पर कार्य परिषद द्वारा कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं है।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

4. **विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर 2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

निर्णयः– विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से सुझाव दिया गया कि जिन महाविद्यालयों को समय–सीमा के साथ सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है, ऐसे समस्त महाविद्यालयों में शर्तों की पूर्ति हुई या नहीं इसका निरीक्षण कराया जाय, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। इस सुझाव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

कार्यवाही – विकास विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण–

1. श्री क्षितिज पुरोहित, माननीय कार्य परिषद सदस्य के प्रस्ताव पर इंदिरा महिला छात्रावास में बाउण्ड्री बाल की रिपेयरिंग तथा छात्रावास के अंदर की एप्रोच रोड के निर्माण हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

क्रमांक/प्रशासन/कार्य परिषद/2019/16 दिनांक 21 जनवरी 2019

कार्य परिषद की आपातिक बैठक दिनांक 21 जनवरी 2019 का कार्यवृत्त

दिनांक 21 जनवरी 2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे प्रो. बी.आर.बी. माथुर कक्ष में कार्य परिषद की आपातिक बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में उपस्थित निम्नानुसार रही–

1.	प्रोफेसर के.एन. सिंह यादव, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर अतुल पाण्डेय	सदस्य
3.	प्रोफेसर महेश चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रोफेसर कालिका प्रसाद यादव	सदस्य
5.	प्रोफेसर एस.पी. सिंह	सदस्य
6.	डॉ. एस.एस. तिवारी	सदस्य
7.	श्री रवीन्द्र चौहान	सदस्य
8.	डॉ. प्रवीण सिंह, अपर संचालक, वित्त	सदस्य
9.	डॉ. श्रीमती पुष्पा सोनवानी	कार्यवाहक कुलसचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । माननीय कुलपति जी ने 1 फरवरी 2019 को आयोजित विश्वविद्यालय के सप्तम् दीक्षान्त समारोह की सूचना एवं समारोह की स्वीकृति से सदन को अवगत कराया । तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

1. दिनांक 1 फरवरी 2019 को आयोजित विश्वविद्यालय के सप्तम् दीक्षान्त समारोह हेतु व्ययभार की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय–इस आयोजन हेतु विश्वविद्यालय के बजट में रूपये 20.00 लाख का प्रावधान रखा गया है अतः सर्वसम्मति से इस समारोह के आयोजन हेतु रूपये 20.00 लाख व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही – वित्त)

2. विश्वविद्यालय के सप्त् दीक्षान्त समारोह में मानद् उपाधि दिये जाने के संबंध में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2019 में मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा पर विचार करना ।

टीप– 1. प्रबंध संकाय में आचार्य श्री बालकृष्ण, पतंजलि योगपीठ, हरिव्दार
डी.लिट में मानद उपाधि
2. विज्ञान संकाय में डॉ. जी. सतीश रेड्डी, अध्यक्ष, डीआरडीओ, नई दिल्ली
डी.एससी. में मानद उपाधि

निर्णय– सर्वसम्मति से विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2019 की अनुशंसा मान्य की गई । अनुशंसा अनुमोदनार्थ माननीया कुलाधिपति महोदया को प्रेषित कर मान्य करने का अनुरोध किया जाय ।

(कार्यवाही – उपाधि)

अंत में सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

[signature] 21/01/19
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन/कार्य परिषद/2019/16A दिनांक 21 जनवरी 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0
2. माननीया राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल, म0प्र0
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल
4. कार्य परिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ.प्र.सिं.वि.वि., रीवा
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

21.1.19

उपकुलसचिव, प्रशासन

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2019/32 रीवा, दिनांक 26-2-2019

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2019 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को मध्यान्ह 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1. प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
3. डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	–	सदस्य
4. डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
5. प्रो0 सुनील कुमार तिवारी	–	सदस्य
6. डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
7. डॉ0 अजय सिंह	–	सदस्य
8. डॉ0 श्रीमती पुष्पा सोनवानी, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। नवागत कार्य परिषद सदस्य प्रोफेसर सुनील तिवारी एवं डॉ. अजय सिंह को प्रथम बैठक में उपस्थित होने पर उनका स्वागत किया गया तथा विश्वविद्यालय के विकास में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु अपेक्षा की गई । तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

1. **कार्यपरिषद् की सामान्य बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 एवं आपात् बैठक दिनांक 1 जनवरी 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।**

निर्णयः कार्यसूची में अंकित 1 जनवरी 2019 के स्थान पर 21 जनवरी 2019 संशोधन के साथ कार्य परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 29 दिसम्बर 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 21 जनवरी 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही, प्रशासन विभाग

2. **कार्यपरिषद् की सामान्य बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

निर्णयः आगामी कार्य परिषद की बैठक में कियान्वयन आदेश के साथ पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय ।

कार्यवाही, प्रशासन विभाग

3. **कर्मचारी संघ, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की मांग क्रमांक 2, 3, 5 एवं 9 के सम्बन्ध में गठित समिति के प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।**

(समिति का प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)

निर्णयः इस संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.02.2019 व्दारा दी गई अनुशंसाओं का सदन व्दारा अवलोकन किया गया। तदुपरान्त, सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसाओं को मान्य किया गया। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करे ।

कार्यवाही, कार्मिक विभाग

4. **विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.1.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।**

परिशिष्ट–3

निर्णयः कार्य परिषद की बैठक दिनांक 21 जनवरी 2019 में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

कार्यवाही, अकादमिक विभाग

5. **अध्यादेश 30 का 15(4) में माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन दिनांक 10,17,24,एवं 28.1.19 की सूचना ग्रहण करना।**

परिशिष्ट–4

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही, अकादमिक विभाग

6. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग को दिनांक 1.1.2016 से सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने पर विचार करना।**

कार्यालयीन टीप – म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 दिनांक 18.07.2018 तथा इसके पश्चात् के संशोधनों (Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India के आदेश क्रमांक 1–4/2017–U II दिनांक 28.01.2019) के अनुरूप वेतनमान संबंधी शर्तें एवं वेतनमान मैट्रिक्स के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2016 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

म.प्र. शासन के उक्त आदेश के बिन्दु क्रमांक 1.4 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों हेतु सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के लिये विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है, शासन का आदेश सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः शिक्षक संघ की मांग पर विचार करते हुए 01.01.2016 से सातवें वेतनमान का लाभ एवं एरियर्स प्रदान किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों को उक्त लाभ पूर्व में प्रदान किया जा चुका है।

निर्णयः सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग को वचन पत्र लेकर दिनांक 1.1.2016 से सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार एरियर्स भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जायेगी, विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भुगतान हेतु निर्णय लिया जाए।

कार्यवाही, कार्मिक / वित्त विभाग

7. **विश्वविद्यालय में आमंत्रित अतिथि विद्वानों को मानदेय वृद्धि पर गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करना। (समिति की अनुशंसा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)**

निर्णयः इस संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 8 फरवरी 2019 एवं 15-16 फरवरी 2019 की अनुशंसाओं का अवलोकन सदन व्दारा किया गया। अनुशंसाओं के आधार पर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये –

(i) विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में पदस्थ अतिथि विव्दानों को वर्तमान में मानदेय राशि 275/- के स्थान पर प्रति पीरियड 400/- एवं प्रतिदिन 3 पीरियड के हिसाब से अधिकतम 1200/- तथा प्रतिमाह अधिकतम 25000/- प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । प्रस्ताव अनुमोदन हेतु, समन्वय समिति में प्रेषित किया जाय । इस संबंध में यदि समन्वय समिति द्वारा मान्य नही किया जाता/राशि भुगतान पर रोक लगा दी, तो भुगतान की गई राशि बसूल की जाय। पाठयक्रमों की वित्तीय साध्यता के आधार पर विभागाध्यक्ष/प्रभारी आचार्य, अतिथि विद्वानों के पारिश्रमिक का भुगतान अनुशंसित करेंगे।

(ii) अतिथि विव्दानों की वरिष्ठता एवं योग्यता को दृष्टिगत रखते हुये स्लैब निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन भी किया जायेगा । समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

कार्यवाही, कार्मिक विभाग

8. **वित्त समिति की बैठक दिनांक 8 फरवरी 2019 में लिये गये निर्णय एवं अनुशंसा अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं वित्तीय वर्ष 2018-2019 के पुनरीक्षित तथा 2019-2020 के अनुमानित बजट प्रावधान के अनुमोदन पर विचार करना।**

(समिति का अनुशंसा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा)

निर्णयः सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित तथा 2019-2020 के अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही, वित्त विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण—

1. **क्रीड़ा परिषद की बैठक दिनांक 12.02.2019 में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर विचार करना ।**

निर्णयः सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

कार्यवाही, शारीरिक शिक्षा विभाग

2. **राजभवन के पत्र कमांक/एफ–1–1/19/रा.स./यूए–1/239 दिनांक 2 फरवरी 2019 पर विचार करना ।**

निर्णयः प्रकरण आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

कार्यवाही, प्रशासन विभाग

अंत में कुलसचिव व्दारा सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2019/33 रीवा, दिनांक 26-2-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
8. संबंधित नस्ती।

26.2.19

उप कुलसचिव (प्रशासन)

परिशिष्ट.01

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कार्यपरिषद्/2019/52 रीवा, दिनांक 28/05/2019

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 28 मई, 2019

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 28 मई, 2019 दिन–मंगलवार मध्यान्ह् 12.00 बजे प्रो0 टी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
3.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
4.	प्रो0 सुनील कुमार तिवारी	–	सदस्य
5.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
6.	श्री रवीन्द्र चौहान	–	सदस्य
7.	डॉ0 अजय सिंह	–	सदस्य
8.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
9.	श्रीमती रेखा किशोरे	–	सदस्य
10.	श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा उपस्थित समस्त कार्य परिषद् सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। डॉ0 अजय सिंह कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि बैठक की कार्यवाही का विवरण बैठक के दौरान ही पंजी में संधारित की जाय, जिसको सभी सम्माननीय सदस्यों द्वारा मान्य किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि राजभवन से प्राप्त पत्रों पर निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय–कार्यपरिषद् की सामान्य बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की सामान्य बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2019 के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक–3 के निर्णय के अंतिम वाक्य "इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करे" को विलोपित किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. 50वाँ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2017–18 को माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

4. मई, जून 2019 की मुख्य/पूरक/प्रायोगिक परिक्षाओं की उत्तरपुस्तिका निर्माण में रूपये 29 लाख 8 हजार मात्र की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

5. विश्वविद्यालय द्वारा स्थायीकर्मी घोषित किये गये कर्मचारियों को एरियर्स राशि रूपये 17,83,109.00 (सत्रह लाख तिरासी हजार एक सौ नौ रूपये) भुगतान हेतु स्वीकृत करने का विचार करना।

टीप– स्थायीकर्मियों को दिनांक 01.09.2016 से 01.07.2018 तक का एरियर्स म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ–5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 एवं विश्वविद्यालय आदेश/कार्मिक/2018/398 दिनांक 10.07.2018 के अनुक्रम में मार्गदर्शी सिद्धांत के परिपालन में कुल एरियर्स राशि रूपये 1783109.00 (सत्रह लाख तिरासी हजार एक सौ नौ रूपये) मात्र का भुगतान किया जाना है इस हेतु म0प्र0शासन के अन्य विश्वविद्यालय जैसे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा स्थायी कर्मियों के एरियर्स से भविष्य निधि से कटौती उपरान्त भुगतान स्वीकृत किया गया है। तदानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा भी एरियर्स राशि भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय–विश्वविद्यालय द्वारा स्थायीकर्मी घोषित किये गये कर्मचारियों को एरियर्स राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के परिपालन में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक/वित्त विभाग

6. डॉ0 पी0के0 राय, की कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत की गई पदोन्नति पर कार्यपरिषद को कारण बताओ नोटिस पर जबाव प्रस्तुत करने पर विचार करना।

निर्णय–मान0 कुलपति जी ने इस प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों में की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया। डॉ0 पी0के0 राय, की कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत की गई पदोन्नति पर कार्यपरिषद को प्राप्त कारण बताओ नोटिस का नियमानुसार जबाव प्रस्तुत करने हेतु सर्वसम्मत से कार्यपरिषद् की ओर से मान0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – कुलपति सचिवालय

7. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.02.2019 एवं 09.04.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय–कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक/विकास विभाग

8. अध्यादेश 30 का 15(4) में किये गये अनुमोदन दिनांक 23, 25.02.2019 तथा 11, 27.03 2019 तथा 08, 22.04.2019 एवं 02, 17,21.05.2019 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

9. राज्यपाल महोदय के सचिव म0प्र0 के पत्र कमांक एफ–1/2019/रा.स./यू.ए.–1/537 दिनांक 15 मार्च 2019 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये नियुक्त होने वाली समिति हेतु कार्यपरिषद की ओर से एक सदस्य के निर्वाचन हेतु विचार करना।

निर्णय–डॉ0 अजय सिंह, मान0 कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा मान0 श्री राजेन्द्र शुक्ल, पूर्व मंत्री एवं विधायक, अमहिया रीवा का नाम प्रस्तावित किया गया जिसे सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा सहमति पत्र के साथ राजभवन को प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही – कुलपति सचिवालय

पूरक कार्यसूची :–

1. श्री गोलई प्रसाद यादव, भृत्य एवं श्री रामकुशल कोरी, श्री विजय सिंह तथा श्री धर्मेन्द्र सक्सेना, दैनिक वेतन भोगी के वेतन के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा गठित समिति के निर्णय के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय–विस्तृत टीप के साथ अगली बैठक में प्रकरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. श्री इन्द्रभान गुप्ता, वरिष्ठ कार्य सहायक को स्वयं की बीमारी--सीएडी की जांच/उपचार के चिकित्सा देयक कार्या0 अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के पत्र पृ0 क्रमांक 538--39/रेफरल/एमसी/2018 रीवा, दिनांक 31.05.2018 के द्वारा रुपये--1,56,578/-- (एक लाख छप्पन हजार पाँच सौ अठहत्तर रुपये मात्र) परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है। भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय--भुगतान हेतु मान्य किया गया।

कार्यवाही -- कार्मिक/वित्त विभाग

3. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4--2/2018/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 06 मार्च 2019 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर माननीय कुलपति जी द्वारा धारा 15 (4) के अंतर्गत भुगतान की स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय--सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही -- कार्मिक/वित्त विभाग

4. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय--अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही -- अकादमिक/विकास विभाग

5. श्री रमेश सिंह, से0नि0 सहा0 यंत्री के सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति का सत्यापन मान0 कुलपति जी द्वारा धारा 15 (4) के अंतर्गत किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय--सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही -- कार्मिक/पेंशन विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :--

1. नवीन परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार करना।

निर्णय--विस्तृत टीप के साथ अगली बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही -- परीक्षा विभाग

2. अधिवक्ता ए0एम0 शुक्ला के पत्र पर विचार करना।

निर्णय—अधिवक्ता श्री ए0एम0 शुक्ला, श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा एवं श्री अरविन्द के0 पाण्डेय, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर का नाम विश्वविद्यालय के अधिवक्ता म0प्र0 हाई कोर्ट जबलपुर के पैनल में जोड़ा जाय।

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

3. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.05.2019 के निर्णय के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय—अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक/विकास विभाग

4. विदेशी भाषा विभाग के अंतर्गत रूसी भाषा के उपाचार्य से आचार्य पद हेतु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति हेतु अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत गठित चयन समिति (Selection Committee) की अनुशंसा दिनांक 27 मई, 2019 पर विचार करना।

माननीय कुलपति जी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सील बंद लिफाफा समिति के समक्ष खोला गया तथा अनुशंसा पढ़कर सुनाई गई।

निर्णय—सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चयन समिति की अनुशंसा मान्य की जाय तथा डॉ0 ए0 राजेश्वर राजू को रुपये 37400–67000+10000 एजीपी पर उपाचार्य (एसो0 प्रोफेसर) से आचार्य पद पर पात्रता दिनांक से पदोन्नत किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं समस्त माननीय कार्यपरिषद सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आदेशानुसार,
28.5.
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहा0 कुलसचिव (प्रशासन)

X

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2019/69 रीवा, दिनांक 09-7-2019

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2019

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2019 दिन–रविवार मध्यान्ह 12.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
3.	प्रो0 सुनील कुमार तिवारी	–	सदस्य
4.	प्रो0 दिनेश कुशवाहा	–	सदस्य
5.	प्रो0 एस0एल0 अग्रवाल	–	सदस्य
6.	डॉ0 के0के0 तिवारी	–	सदस्य
7.	डॉ0 अंजू सिंह	–	सदस्य
8.	श्री रवीन्द्र चौहान	–	सदस्य
9.	डॉ0 अजय सिंह	–	सदस्य
10.	श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। कार्यपरिषद् में नव नियुक्त सदस्य प्रो0 एस0एल0 अग्रवाल, प्रो0 दिनेश कुशवाहा, डॉ0 अंजू सिंह एवं डॉ0 के0के0 तिवारी का स्वागत किया गया। डॉ0 एस0एस0 तिवारी, डॉ0 अतुल पाण्डेय एवं श्रीमती रेखा किशोरे का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके द्वारा विश्वविद्यालय को किये गये सहयोग के प्रति कार्यपरिषद् ने आभार व्यक्त किया।

तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28 मई, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय–पुष्टि की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28 मई, 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गयी।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019 एवं 01.06.2019 के कार्यवृत्त पर विचार करना।

निर्णय–विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019 एवं 01.06.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक / विकास विभाग

4. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच.डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 28.05.2019, 01.06.2019 एवं 13.06.2019 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

5. वर्ष 2019–20 के बजट से उत्तर पुस्तिकायें क्रय करने हेतु रुपये–90,00,000/– (नब्बे लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत पर विचार करना।

टीप– बजट में प्रावधानित राशि रुपये–1.5 करोड़ में से रुपये– 29 लाख व्यय उपरान्त राशि 1.21 करोड़ राशि व्यय हेतु उपलब्ध है। जिसमें रुपये–90,00,000/– (नब्बे लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

निर्णय–विस्तृत जानकारी के साथ प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

6. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4–3/2019/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14 जून, 2019 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत भुगतान की प्रदत्त स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

...क कार्यसूची :–

1. दर्शन विभाग के अंतर्गत दर्शनशास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति हेतु अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत गठित चयन समिति (Selection Committee) की अनुशंसा दिनांक 13 जून, 2019 पर विचार करना। (चयन समिति की अनुशंसा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी)

निर्णय–माननीय कुलपति जी द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सील बंद लिफाफा समिति के समक्ष खोला गया तथा अनुशंसा पढ़कर सुनाई गई। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से चयन समिति की अनुशंसा मान्य की गई तथा निर्णय लिया गया कि डॉ० श्रीकान्त मिश्र को रुपये 37400–67000+10000 एजीपी पर सह–आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) से आचार्य (प्रोफेसर) पद पर पात्रता दिनांक से पदोन्नत किया जाय।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

2. भवन समिति की बैठक दिनांक 26.06.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय–अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – निर्माण विभाग

3. श्री विजय सिंह, श्री धर्मेन्द्र सक्सेना एवं श्री रामकुशल कोरी, दैनिक भृत्य पर गठित समिति की बैठक दिनांक 17.01.2019 के प्रतिवेदन पर विचार करना।

टीप– श्री विजय सिंह, श्री धर्मेन्द्र सक्सेना एवं श्री रामकुशल कोरी, दैनिक भृत्य से जुड़े तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर गठित समिति की बैठक दिनांक 17.01.2019 के प्रतिवेदन के अनुसार इन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति योग्यता अनुसार उस श्रेणी का पारिश्रमिक भुगतान मान्य करते हुए जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक भुगतान किये जाने की अनुशसां की जाती है। साथ ही इन कर्मचारियों को इनके साथ एस0सी0/एस0टी0 कोचिंग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भांति आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में अनुशंसा की गई है।

निर्णय–समिति की अनुशंसा मान्य। तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यवाही – कार्मिक/वित्त विभाग

4. श्री मोलई प्रसाद यादव, भृत्य (नियमित वेतनमान) के प्रकरण पर गठित समिति की बैठक दिनांक 17.01.2019 के निर्णय अनुसार रोके गये वेतन का भुगतान की अनुशंसा की गई है, पर विचार करना।

निर्णय–समिति की अनुशंसा मान्य। तत्काल भुगतान की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक/वित्त विभाग

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक 18.06.2019 के कार्यवृत्त पर विचार करना।

निर्णय–विद्या परिषद की बैठक दिनांक 18.06.2019, 28.06.2019 एवं 06.07.2019 का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक/विकास विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :–

1. निर्धन छात्रों के लिए आर्थिक सहायता का विनियम पर विचार करना।

निर्णय–निर्धन छात्रों के लिए आर्थिक सहायता का विनियम मान्य किया गया।

कार्यवाही – अधिष्ठाता छात्र कल्याण

2. पीएच0–डी0 शोध संचालनालय का विनियम कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

कार्यवाही – शोध संचालनालय

3. जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं के पैनल में निम्न अधिवक्ताओं का नाम मान्य किया जाय –
   1. श्री संतोष कुमार अवधिया
   2. श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय
   3. श्री राहुल त्रिपाठी
   4. श्री संतोष मिश्र

कार्यवाही – विधि प्रकोष्ठ

4. अध्यक्ष की अनुमति से डॉ0 अजय सिंह, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु कार्यपरिषद् के निर्णय की तिथि से किये जाने का अनुरोध किया किन्तु यह अमान्य हुआ। साथ ही अतिथि विद्वानों से स्वयं के वचन–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिसे मान्य किया गया।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

5. कर्मचारी संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन–पत्र पर पालन क्यों नहीं हुआ। कारणों सहित स्पष्टीकरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

6. थाना भवन के लिये जमीन उपलब्ध कराने पर विचार हेतु प्रकरण विस्तृत विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – निर्माण विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं समस्त माननीय कार्यपरिषद सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आदेशानुसार,

9.7.19

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहा0 कुलसचिव (प्रशासन)

+1

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/प्रशासन/2019/ 125

दिनांक 28/12/19

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर 2019 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की दिनांक 28 नवम्बर 2019 की स्थगित बैठक दिनांक 10 दिसम्बर 2019, दिन–मंगलवार पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रो.बी.आर.बी.माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसनें उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1.	प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो.सुनील कुमार तिवारी	सदस्य
3.	प्रो. दिनेश कुमार कुशवाहा	सदस्य
4.	प्रो. एस.एल. अग्रवाल	सदस्य
5.	डॉ. अंजू सिंह	सदस्य
6.	श्री रवीन्द्र चौहान	सदस्य
7.	डॉ. अजय सिंह	सदस्य
8.	डॉ. के.के. त्रिपाठी	सदस्य
9.	अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभा	सदस्य
10.	श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कार्यपरिषद में उपस्थिति सदस्यों द्वारा नव–नियुक्त कुलपति प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल का सहर्ष स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की आगामी कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07 जुलाई 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07 जुलाई 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही–प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 7 जुलाई 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 7 जुलाई 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना इस संशोधन के साथ मान्य किया गया कि दिनांक 7.7.2019 के कार्यवृत्त, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के पद क्रमांक 5 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कार्यपरिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–प्रशासन/कार्मिक विभाग

3. समन्वय समिति की बैठक दिनांक 30.9.2019 के निर्णयों को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णय– समन्वय समिति की बैठक दिनांक 30.9.2019 के निर्णयों को अंगीकृत अंगीकृत किया गया।

कार्यवाही–प्रशासन विभाग

4. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 6.7.2019, 8.8.2019, 14.8.2019 एवं 22.10.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय– विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 6.7.2019, 8.8.2019, 14.8.2019 एवं 22.10.2019 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही–अकादमिक विभाग

5. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अन्तर्गत पी–एच.डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय– अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अन्तर्गत पी–एच.डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 25.6.2019, 5.7.2019, 8.7.2019, 25.7.2019, 1.8.2019, 13.8.2019, 14.8.2019, 3.9.2019, 4.9.2019, 18.9.2019, 19.9.2019, 30.9.2019 एवं 16.10.2019 की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही–अकादमिक विभाग

6. वर्ष 2019–20 के बजट से उत्तर पुस्तिकाये क्रय करने हेतु रुपये 90,00,000/– (नब्बे लाख रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय– वर्ष 2019–20 के बजट से उत्तर पुस्तिकायें क्रय करने हेतु रु.75,00,000/– (पचहत्तर लाख रुपये) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त राशि, रुपये 4,94,500/– माननीय कुलपति जी द्वारा पूर्व प्रदत्त स्वीकृति के अतिरिक्त होगी।

कार्यवाही–गोपनीय विभाग

7. विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये ग्राम सोनौरा एवं बरा कोठार की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये ग्राम सोनौरा एवं बरा कोठार की सूचना ग्रहण की गई, जिससे उक्त ग्रामों हेतु शैक्षणिक क्रिया–कलाप/रचनात्मक कार्यक्रम सम्पादन किये जा सकें।

कार्यवाही–प्रभारी एम.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम/
राष्ट्रीय सेवा योजना

8. सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा संबंधी विभिन्न तैयारी/कार्यवाही/प्रति विषय/निर्णय का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा संबंधी विभिन्न तैयारी/कार्यवाही/प्रति विषय/निर्णय से अवगत कराया गया जिसका कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही–परीक्षा/गोपनीय विभाग

पूरक कार्यवृत्त

1. दै.वे.भोगी/मस्टर कर्मचारियों के लिए जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दिनांक 1.4.2019 से प्रभावशील दरों को लागू करने पर विचार करना।

निर्णय– दै.वे.भोगी/मस्टर कर्मचारियों के लिए जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दिनांक 1.4.2019 से प्रभावशील दरों को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

2. श्री राघवेन्द्र सिंह परिहार, सहायक अधीक्षक, पेंशन विभाग दिनांक 25.5.2018 से 6.7.2019 तक 405 दिवस का लघुकृत अवकाश से 20+60 कुल 80 दिवस का अर्जित/लघुकृत अवकाश की पात्रता अनुसार स्वीकृत एवं 325 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय– श्री राघवेन्द्र सिंह परिहार, सहायक अधीक्षक, पेंशन विभाग दिनांक 25.5.2018 से 6.7.2019 तक 405 दिवस का लघुकृत अवकाश से 20+60 कुल 80 दिवस का अर्जित/लघुकृत अवकाश की पात्रता अनुसार स्वीकृत एवं 325 दिवस का अवैतनिक अवकाश की स्वीकृत प्रदान की गई।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग

3. श्री रसीद खान, टेक्नीशियन के निःशक्तता प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय– निर्णय लिया गया कि श्री रसीद खान, टेक्नीशियन के निःशक्तता प्रमाण–पत्र सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया है, को सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग

4. विद्या सम्बन्धी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 2.11.2019 के कार्यवृत्त अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय– विद्या सम्बन्धी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 2.11.2019 के कार्यवृत्त अनुमोदन किया गया। RUSA योजना के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित डी.पी.आर. के विभिन्न बिन्दुओं से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही–विकास विभाग

5. प्रो.दयाशंकर सिंह बघेल, आचार्य को उनकी पत्नी श्रीमती आभा सिंह के कैंसर उपचार राज्य के बाहर टाटा मेमोरियल हास्पिटल मुम्बई में कराये गये व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 2,00,000/– की स्वीकृति उपरान्त समायोजन पर विचार करना।

निर्णय– प्रो.दयाशंकर सिंह बघेल, आचार्य को उनकी पत्नी श्रीमती आभा सिंह के कैंसर उपचार राज्य के बाहर टाटा मेमोरियल हास्पिटल मुम्बई में कराये गये व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 2,00,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई तथा समायोजन की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

6. परीक्षा केन्द्र सत्र 2019–20 हेतु समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी प्रदत्त अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय– परीक्षा केन्द्र सत्र 2019–20 हेतु समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी प्रदत्त अनुमोदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही–परीक्षा विभाग

7. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 32 के कण्डिका–5 में विहित प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भवन समिति में कार्यपरिषद द्वारा दो सदस्यों के नामांकन (यह आवश्यक नहीं है कि वे कार्यपरिषद सदस्य हों) पर विचार करना।

निर्णय– मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 32 के कण्डिका–5 में विहित प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भवन समिति में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है–

1. प्रो. सुनील कुमार तिवारी, कार्यपरिषद सदस्य
2. डॉ. अजय सिंह, कार्यपरिषद सदस्य

कार्यवाही–निर्माण विभाग

8. स्व.श्री जन्मेजय प्रसाद उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी के स्वयं के कैंसर उपचार चिरायु मेडिकल कालेज हास्पिटल भोपाल में कराये गये व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 3,82,069/– की स्वीकृति पर विचार कना।

निर्णय– स्व.श्री जन्मेजय प्रसाद उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी के स्वयं के कैंसर उपचार चिरायु मेडिकल कालेज हास्पिटल भोपाल में कराये गये व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 3,82,069/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग/वित्त विभाग

9. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 2.12.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 2.12.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही–अकादमिक विभाग

10. ई.पी.एफ.सलाहकार को कार्य की अनुमति तथा मानदेय एवं यात्रा भत्ता स्वीकृत करने पर विचार करना।

निर्णय– ई.पी.एफ.सलाहकार को कार्य की अनुमति तथा मानदेय रुपये 5000/– प्रतिमाह एवं यात्रा भत्ता, रुपये 2500/– प्रतिपेशी स्वीकृत प्रदान की जाती है तथा इस हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया साथ ही पूर्व में ई.पी.एफ.सलाहकार को कार्य से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जावे।

कार्यवाह–वित्त विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण–

1. विश्वविद्यालय के 84 नियमित वेतनमान कर्मचारियों के प्रकरण के प्रस्ताव।

निर्णय– विश्वविद्यालय के 84 नियमित वेतनमान कर्मचारियों के प्रकरण में कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/कार्मिक/2019/758 दिनांक 19.11.2019 के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को प्रेषित पत्र के विषय में किये मध्यप्रदेश राज्य शासन से वांछित

अनुरोध कि उक्त 84 कर्मचारियों हेतु 84 नियमित पद (Dying Cadre) किये जाने के प्रस्ताव से कार्यपरिषद को संज्ञानित किया गया।

2. विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रीय, राजकीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, सामाजिक शोध एवं अन्य समसामयिक विषयों से जुड़े सस्थानों/संगठनों के सम्बन्ध में एम.ओ.यू. तैयार करने विचार करना।

निर्णय–विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रीय, राजकीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, सामाजिक शोध एवं अन्य समसामयिक विषयों से जुड़े सस्थानों/संगठनों के सम्बन्ध में एम.ओ.यू. तैयार करने एवं तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही–कुलपति कार्यालय

3. माननीय कुलाधिपति जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2019 को हुए विचार–विमर्श संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना।

निर्णय–माननीय कुलाधिपति जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2019 को हुए विचार–विमर्श के अन्तर्गत निम्न निर्णय लिये गये–

(क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 के अन्तर्गत शैक्षणिक तकनीकी, शोध आदि विषयों के विस्तृण हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2019 के तारतम्य में विश्वविद्यालय एम.ओ.यू. एवं कन्सोर्टियम की प्रस्तावित स्थापना में सम्मिलित होकर उनकी कार्य योजनाओं में सक्रिय भागीदारी करते हुए क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिये माननीय कुलपति जी को अधिकृ किया गया।

कार्यवाही –कुलपति कार्यालय

4. माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को विश्वविद्यालय का अष्टम दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है, के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय– सभी सम्माननीय कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को विश्वविद्यालय का अष्टम दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित विषयों की पूर्ण तैयारी कर इस समारोह को पूर्ण भव्यता के साथ आयोजित किया जाय।
मुख्य अतिथि के संबंध में माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यवाही –अकादमिक विभाग

5. विश्वविद्यालय में युवा उत्सव आयोजन के बजट प्राक्कलन पर विचार करना।

निर्णय–मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा इस वर्ष युवा उत्सव के आयोजन का दायित्व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को सौपा गया है। युवा उत्सव का आयोजन दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2019 के मध्य सम्पन्न होना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में वर्तमान में रुपये 7.50 लाख का बजट उपलब्ध है। अतः प्रस्ताव अनुसार रुपये 5.00 लाख का बजट पुनर्विनियोजन युवा उत्सव हेतु किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। युवा उत्सव कार्यक्रम में समग्र रूप से रुपये 25.00 लाख का व्यय प्राक्कलित किया गया है। अतः प्रस्ताव अनुसार रुपये 25.00 लाख व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही–वित्त विभाग/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग

6. डॉ.अजय सिंह, कार्यपरिषद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार करना।

निर्णय– (1) डॉ.अजय सिंह, माननीय कार्यपरिषद सदस्य ने डॉ.आई.बी.सिंह एवं श्री शिवशरणमणि शर्मा के प्रकरण पर चर्चा की। तत्सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में की गई नियमानुसार कार्यवाही कर कार्यपरिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाय।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग/दर्शनशास्त्र विभाग/एस.एस.प्रकोष्ठ

निर्णय– (2) डॉ.अजय सिंह, माननीय कार्यपरिषद सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित सौर्य ऊर्जा विद्युत पैनलों में कृत व्यय राशि का विवरण एवं विद्युत बिलों का विवरण तथा वस्तुस्थिति सहित अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही– प्रभारी, यूसिक विभाग

7. डॉ.के.के.त्रिपाठी, माननीय कार्यपरिषद सदस्य द्वारा श्री मोतीलाल पाण्डेय सेवा निवृत्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के संस्थान के संबंध में विचार करना।

निर्णय–डॉ.के.के.त्रिपाठी, माननीय कार्यपरिषद सदस्य द्वारा श्री मोतीलाल पाण्डेय की सेवा पुस्तिका के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। तत्संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–पेंशन प्रकोष्ठ/वित्त विभाग

8. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर संबंधी आयुर्वेद के पी–एच.डी.आवेदकों विषयक प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय– आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के संबंध में पी–एच.डी. आवेदकों विषयक प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही– शोध संचालनालय

9. थाना भवन की भूमि आबंटन के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय– प्रकरण भूमि समिति के समक्ष परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही – निर्माण विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं समस्त माननीय कार्यपरिषद सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के सचिव, राजभवन, भोपाल
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव(प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2018/39 रीवा, दिनांक 18-07-2018

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018
कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2018 दिन—सोमवार अपरान्ह् 3.00 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ0 (श्रीमती) अर्चना गुप्ता	—	सदस्य
3.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	—	सदस्य
4.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	—	सदस्य
6.	प्रो0 जगदीश प्रसाद सिंह	—	सदस्य
7.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	—	सदस्य
8.	श्री डी0आर0 महोविया, संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	—	सदस्य
9.	डॉ0 क्षितिज पुरोहित	—	सदस्य
10.	श्री रवीन्द्र चौहान	—	सदस्य
11.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	—	सदस्य
12.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	—	सदस्य
13.	श्री लाल साहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	—	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। विशेषकर नव नियुक्त कार्य परिषद् सदस्य डॉ0 क्षितिज पुरोहित एवं श्री रवीन्द्र चौहान का स्वागत करते हुये विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की, तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी माँग पर विचार करना।

निर्णयः— विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में आमंत्रित अतिथि विद्वानों के मानदेय वृद्धि संबंधी प्रकरण पर सदन द्वारा विचार विमर्श किया गया तथा कार्यपरिषद् सदस्य डॉ0 एस0एस0 तिवारी के प्रस्ताव पर नियमित पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 विजय मिश्र तथा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अतिथि विद्वान डॉ0 एस0पी0 सिंह को सदन में बुलाकर उनका पक्ष सुना गया। इसके बाद सदन की अनुमति से प्रोफेसर एन0पी0 पाठक, संचालक, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम तथा

परिशिष्ट -01

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2018/73 रीवा, दिनांक 18/10/2018

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2018
कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 दिन–मंगलवार मध्यान्ह् 12.00 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रहीं :–

1.	प्रो0 के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अतुल पाण्डेय	–	सदस्य
3.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
5.	श्री रवीन्द्र चौहान	–	सदस्य
6.	प्रो0 कालिका प्रसाद यादव	–	सदस्य
7.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
8.	डॉ0 बृजेश सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित समस्त कार्य परिषद् सदस्यों का स्वागत किया, तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण पर सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

1. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–दिनांक 24 अगस्त 2018 को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के बिन्दु क्रमांक 2 की अंतिम पंक्ति कि–प्रकरण समन्वय समिति के अनुमोदनार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया, विलोपित किया जाय। इस संशोधन के साथ दिनांक 24 अगस्त 2018 को आयोजित कार्यपरिषद् की सामान्य बैठक एवं दिनांक 25 सितम्बर 2018 को आयोजित कार्यपरिषद् की आपात बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2018 एवं आपात बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2018 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही– प्रशासन विभाग

3. वर्ष 2018–19 हेतु खेल सामग्री का क्रय किया जाना है। बजट प्रावधान 6–स्पोर्टस एण्ड गेम्स क्रमांक 1 एवं 2 में प्रावधानित राशि 10,00,000+6,00,000=16,00,000/– (सोलह लाख रुपये मात्र) का बजट प्रावधान किया गया है। संलग्न सूची अनुसार आलोच्य राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः–रुपये–16,00,000/– (सोलह लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – शारीरिक शिक्षा विभाग

4. वर्ष 2018–19 के बजट से उत्तर पुस्तिका निर्माण हेतु रुपये–90,00,000/– (नब्बे लाख मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृत पर विचार करना।

निर्णयः–वर्ष 2018–19 के बजट से उत्तर पुस्तिका के निर्माण हेतु रुपये 90,00,000/– (रुपये नब्बे लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

5. समन्वय समिति की 95वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 के निर्णयों को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णयः–समन्वय समिति की 95वीं बैठक दिनांक 06 सितम्बर 2018 के निर्णयों को अंगीकृत किया गया।

कार्यवाही– प्रशासन विभाग

पूरक कार्यसूची :–

1. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 12.09.2018 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2018 का कार्यवाही विवरण अनुमोदित।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

2. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच. डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 11.09.2018, 12.09.2018 एवं 05.10.2018 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

3. भवन समिति की बैठक दिनांक 01.10.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–अगली कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – निर्माण विभाग

4. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा वर्ष 2017–18 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को अध्यादेश क्रमांक–6 की कण्डिका–23 (एफ) एवं नवीन विनियम क्रमांक–20 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत दिये गये दण्ड की अधिसूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – गोपनीय विभाग

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :–</u>

1. दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ शिक्षा के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन केन्द्रों के लिए सत्र 2017–18 में पंजीकृत छात्रों को पुस्तक क्रय करने हेतु रुपये 15,00,000/– (रुपये पन्द्रह लाख) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल से क्रय करने प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः–दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ शिक्षा के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन केन्द्रों के लिये सत्र 2017–18 में पंजीकृत छात्रों को पुस्तक क्रय करने हेतु रुपये–15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल से क्रय करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – दूरस्थ शिक्षा विभाग

अंत में कुलसचिव द्वारा सदन में उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं समस्त माननीय कार्यपरिषद सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

18.10.18

उप कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2020/14 रीवा, दिनांक 20-1-2020

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2020
कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2020 दिन–शुक्रवार मध्यान्ह् 12.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 पीयूष रजंन अग्रवाल, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 दिनेश कुमार कुशवाहा	–	सदस्य
3.	डॉ0 अंजू सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ0 अजय सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 के0के0 त्रिपाठी	–	सदस्य
6.	अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	–	सदस्य
7.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
8.	श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम प्रो. सुनील कुमार तिवारी के कार्यपरिषद सदस्य द्वारा दिये गये योगदान एवं सहयोग के लिये कार्यपरिषद द्वारा आभार व्यक्त किया गया। तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के सम्मान के साथ परिषद की कार्यवाही अध्यक्ष की अनुमति से प्रारंभ की गई।

कार्यसूची– दिनांक 28 जनवरी, 2020 को आयोजित विश्वविद्यालय के अष्टम् दीक्षान्त समारोह हेतु व्यय भार की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय–वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में दीक्षान्त समारोह हेतु रुपये–20,000,00/– (बीस लाख) का प्रावधान किया गया है। अतः सर्वसम्मति से बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 28 जनवरी, 2020 को आयोजित विश्वविद्यालय के अष्टम् दीक्षान्त समारोह की व्यवस्था हेतु रुपये–20,000,00/– (बीस लाख) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही–वित्त विभाग

20.1.2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही0 हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

20/01/2020
सहा0 कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / प्रशासन / कार्यपरिषद् / 2020 /   रीवा, दिनांक

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2020 की स्थगित बैठक दिनांक 23 मार्च, 2020 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2020 दिन–सोमवार मध्यान्ह् 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 पीयूष रजंन अग्रवाल, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 दिनेश कुमार कुशवाहा	–	सदस्य
3.	प्रो0 रहस्यमणि मिश्र	–	सदस्य
4.	डॉ0 अंजू सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 अजय सिंह	–	सदस्य
6.	डॉ0 के0के0 त्रिपाठी	–	सदस्य
7.	अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	–	सदस्य
8.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश सिंह, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। कार्यपरिषद् में नव नियुक्त सदस्य प्रो0 रहस्यमणि मिश्रा एवं डॉ0 प्रभाकर सिंह का स्वागत किया गया। प्रो0 सुनील कुमार तिवारी का कार्यपरिषद् से कार्यकाल समाप्त होने पर उनके द्वारा विश्वविद्यालय को किये गये सहयोग के प्रति कार्यपरिषद् ने आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात् समिति में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो **COVID-19** नाम के विषाणु के रूप में भी जाना जाता है। आज वैश्विक महामारी के रूप में पूरे संसार को भयाक्रांत किये है। अनेक देशों में इस महामारी से बहुत क्षति हुई है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। जनता कर्फ्यू स्व–विलगाव (करेंटाइन) मास्क तथा सेंनेटाइजर, हस्त प्रक्षालन के साथ ही हमें अपना आत्मबल सही रखना होगा। अपने देश, समाज और पूरे विश्व के लिए हम प्रकृति तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समूची मानवता की रक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, की कामना के साथ

तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय–कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2020 एवं 27 जनवरी, 2020 में लिये गये निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2020 एवं 27 जनवरी, 2020 में लिये गये निर्णय की सूचना ग्रहण की गयी।

3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के सम्बन्ध में पी0एच0–डी0 आवेदकों के प्रवेश एवं पंजीयन के सम्बन्ध में नियमानुसार छात्रहित में कार्यवाही हेतु विचार कर अनुशंसायें प्रदान करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया–

1. प्रो0 आर0एम0 मिश्रा – संयोजक
2. प्रो0 आर0एन0 सिंह – सदस्य
3. प्रो0 दिनेश कुशवाहा – सदस्य

इस प्रकार क्रमांक–8 के साथ प्रस्ताव उपरान्त 10 दिसम्बर, 2019 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गयी।

4. पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2020–21 तथा वार्षिक लेखा वर्ष 2018–19 को वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 की अनुशंसा मान्य करने पर विचार करना।

निर्णय–पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2020–21 तथा वार्षिक लेखा वर्ष 2018–19 को वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 की अनुशंसाओं पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 की विधानसभा में रखे जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय जी के अनुमोदनोपरान्त भेजा जा चुका है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी।

6. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के पूरक कार्यसूची के बिन्दु कमांक–2 में श्री राघवेन्द्र सिंह परिहार, सहायक अधीक्षक, पेंशन विभाग के लघुकृत अवकाश दिनांक 25.05.2018 के स्थान पर दिनांक 28.05.2018 से 06.07.2019 तक 405 दिवस मान्य किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी।

7. प्रो0 सुनील कुमार तिवारी का कार्यकाल कार्यपरिषद् से समाप्त हो जाने के कारण भवन समिति में एक अन्य सदस्य को मनोनीत करने पर विचार करना।

निर्णय–भवन समिति में एक अन्य सदस्य के रूप में प्रो0 सुनील तिवारी, आचार्य, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा विभाग को मनोनीत किया गया।

8. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच0डी0 उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 08.01.2010, 20.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020, 11.02.2020 एवं 25.02.2020 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी।

9. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2019, 17.12.2019 एवं 18.12.2019 के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.12.2019, 17.12.2019 एवं 18.12.2019 के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक–11 को छोड़कर शेष मान्य करते हुये सूचना ग्रहण की गयी।

10. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 1–7/2015–यू–2(1) नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2017 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 31.01.2018 द्वारा विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का उल्लेख है के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1450/538/2019/38–3 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा 01.01.2016 से यू0जी0सी0 पुनरीक्षित वेतनमान (सातवां वेतनमान) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गयी तथा निर्णय लिया कि **March Paid April 2020** के वेतन में ये लाभ दिया जाय एवं एरियर्स पर पृथक् से विचार किया जावेगा।

पूरक कार्यसूची :–

पू0–1. श्री ज्ञानसागर तिवारी, कार्य सहायक को अपनी स्वयं की हृदयरोग (हार्ट अटैक) बीमारी का जाँच/उपचार चिरायु हास्पिटल, भोपाल मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कराये गये व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये–1,26,630/– (एक लाख छब्बीस हजार छः सौ तीस रूपये मात्र) के स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय–स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पू0–2. वित्त वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालय की वास्तविक आय पर अधिरोपित 01 प्रतिशत अंकेक्षण शुल्क की राशि रुपये–45,48,866/– (पैंतालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ छियासठ) मात्र के भुगतान पर विचार करना।

निर्णय–परीक्षणोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जाय।

पू0–3. म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4–3/2019/नियम/चार, भोपाल दिनांक 16 मार्च, 2020 के अनुसार विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत भुगतान की प्रदत्त स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–सूचना ग्रहण की गई।

पू0–4. दै0वे0भोगी/मस्टर कर्मचारियों के लिए जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मासिक वेतन एवं दैनिक दरें (दिनांक 01.10.2019 से प्रभावशील) लागू करने पर विचार करना।

निर्णय–मान्य किया गया।

पू0–5. अध्यादेश क्रमांक–5 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में सत्र 2019–20 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्धारित किये गये शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में केन्द्र निर्धारण संबंधी सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुये हैं। अतः पुर्नविचार हेतु केन्द्र निर्धारण समिति में रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से लिये गये अन्य निर्णय :–

1. समरस व्हिलेज प्रोजेक्ट (**Samras Village Project**)।

2. ''विश्वविद्यालय परिसर स्वाबलम्बन की ओर'' दोनों प्रोजेक्ट मान्य किये गये।

3. दिनांक 07.07.2019 के बिन्दु क्रमांक–4 (पूरक कार्यसूची) के निर्णय में स्व0 श्री मोलई प्रसाद यादव, भृत्य (नियमित वेतनमान) के रोके गये वेतन भुगतान हेतु तत्काल भुगतान की कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया था, किन्तु अभी तक भुगतान न होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी तथा अप्रैल, 2020 तक वेतन भुगतान हेतु निर्णय लिया गया।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
8. संबंधित नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

बैठक दिनाँक - 21 मई, 2020

दिनाँक 21 मई, 2020 को मध्यान्ह 1.00 बजे प्रो० बी० आर० बी० माथुर कक्ष में कार्यपरिषद् की आपात बैठक सम्पन्न हुई। बैठक मे निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो० पीयूष रंजन अग्रवाल — कुलपति/अध्यक्ष
2. प्रो० रहस्यमणि मिश्रा — सदस्य
3. डॉ० प्रभाकर सिंह — सदस्य
4. डॉ० अंजू सिंह — सदस्य
5. डॉ० क्षितिज पुरोहित — सदस्य
6. श्री रवीन्द्र चौहान — सदस्य
7. डॉ० अजय सिंह — सदस्य
8. डॉ० के० के० त्रिपाठी — सदस्य
9. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा — सदस्य
10. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा — सदस्य 21.5.20
11. कुलसचिव, डॉ० बृजेश सिंह — सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव जी द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् मान० कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

निर्णय :—

वर्ष 2019-20 की विभिन्न परीक्षाओं हेतु उत्तरपुस्तिकाओं के निर्माण के लिये वित्त वर्ष 2020-21 के बजट शीर्ष 5(5) में प्रावधानित राशि रू 1,50,00,000=00 (एक करोड़ पचास लाख) से प्रस्तावानुसार रू 75,00,000=00 (पचहत्तर लाख) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व की न्यूनतम निविदाधारी फर्मों द्वारा उ०पु० निर्माण कर आपूर्ति न करने के कारण उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाय।

अन्त में अध्यक्ष महो० के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

21/5/2020

21/5/2020

21.5.2020

21/5/2020

Approved 21-5-2020

21/05/20

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2020/82

रीवा, दिनांक 28/10/2020

कार्यपरिषद आपात बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का कार्यवृत्त

दिनांक 21.10.2020 को पूर्वान्ह 11:30 बजे आपात कालीन कार्यपरिषद की बैठक माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रो0 बी.आर.बी. माथुर कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

1. प्रो0 एन0पी0 पाठक, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ0 अंजू सिंह – सदस्य
3. डॉ. क्षितिज पुरोहित (ऑनलाइन गूगलमीट द्वारा सम्मिलित) – सदस्य
4. श्री रवीन्द्र चौहान – सदस्य
5. डॉ0 अजय सिंह – सदस्य
6. डॉ. के.के. त्रिपाठी – सदस्य
7. डॉ. पंकज श्रीवास्तव (अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा) – सदस्य
8. श्री आर0के0 प्रजापति (संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा) – सदस्य
9. डॉ. बृजेश सिंह, कुलसचिव – सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित समस्त कार्य परिषद् सदस्यों का स्वागत किया, एवं समस्त कार्य परिषद् सदस्यों ने नवनियुक्त कुलपति जी को बधाई ज्ञापित की तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

माननीय सदस्यों द्वारा विषय से पूर्व कुछ प्रारंभिक बातें संज्ञान में लायी गईं जो कि निम्नांकित हैं–

1. सदस्यों का यह आग्रह है कि कार्यपरिषद द्वारा अपनी बैठकों में लिये जाने वाले प्रत्येक निर्णय का संबंधित विभागों एवं अधिकारियों के माध्यम से समय–सीमा में कियान्वयन व पालन किया जाकर कार्यपरिषद की अगली बैठक में पालन/कियान्वयन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हो ताकि विश्वविद्यालय के हितों से जुडे प्रकरणों पर अनावश्यक विलम्ब न हो तथा लाभार्थियों का हित प्रभावित न हो ।

टीपः— विश्वविद्यालय के अधिकारियों/ शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उपादान ग्रेच्युटी का भुगतान रुपये—10,00000/— (दस लाख) से बढ़ाकर रुपये—20,00000/— (बीस लाख) स्वीकृत/अनुमोदन किये जाने पर विचारार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— सूचना ग्रहण करते हुये आदेश क्रमांक एफ/73—4/2020/38—3 भोपाल, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल दिनांक 29.07.2020 ग्राह्य किया गया।

कार्यवाही, कार्मिक विभाग

3. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) परियोजना अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, के आदेश/पत्र क्रमांक226 दिनांक 03.06.2020 द्वारा रूसा चरण—2 कम्पोनेट्स—3 के अन्तर्गत अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के लिए अधोसंरचना एवं उन्नयन कार्य हेतु रुपये—20 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त पत्र के अनुसार रेनोवेशन/अपग्रेडेशन हेतु रुपये 06 करोड़ एवं उपकरण क्रय हेतु रुपये 04 करोड़ की राशि अर्थात कुल राशि रुपये—10 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि के व्यय हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.08.2020 की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—रूसा के तहत् प्राप्त राशि रूपये 10 करोड़ की प्रस्तावित डी.पी.आर. अनुसार निम्नानुसार प्रावधानित कार्यों के सम्पादन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 226/रूसा/2020 दिनांक 03—06—2020 के द्वारा विभिन्न अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन कार्यों हेतु रुपये 20 करोड़ की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत् प्रथम किश्त के रूप में रुपये 10 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है **<u>(मूल प्रस्ताव संलग्न है)</u>**

स्वीकृत राशि रुपये दस करोड़ के मदवार कार्य विवरण निम्नानुसार हैं :—

(1)	RENOVATION/UPGRADATION	
		AMOUNT
(a)	Academic Building : UTD of Environmental Biology, Computer Science, Physics, Chemistry, Mathematical Science, English, Russian Language, Ancient Indian History, Culture & Archeology, Psychology, Hindi, HRD Building, Bio-technology & Microbiology, Law Building and Arjun Bhawan.	Rs. 300=00 Lakh
(b)	Administrative Building : Repair, Painting, Flooring, Aluminium Work etc, Expansion at First Floor Building.	Rs. 100=00 Lakh
(c)	Boys & Girls Hostel.	Rs. 100=00 Lakh

(d)	Campus Development : BT Renewal, Widening of Road, CC Road, Main Gate Work, Rain Water Harvesting System.	Rs. 100=00 Lakh
	TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)	**RS. 600=00 LAKH**
(2)	**EQUIPMENTS**	**AMOUNT**
(a)	Sports Facility/ Equipment-Cricket Ground, Volleyball Ground, Pavillon Building	Rs. 35=00 Lakh
(b)	Computer/Accessories (IUMS)	Rs. 50=00 Lakh
(c)	Video Conferencing Equipment, Wi-Fi-/Lan Equipments	Rs. 50=00 Lakh
(d)	Books/Journals (Purchase of New Books)	Rs. 100=00 Lakh
(e)	Lab Equipment (Real Time PCR, Fermenter, Differential Scanning Calorimetry, F.T.I.R. etc)	Rs. 165=00 Lakh
	TOTAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	**RS. 400=00 LAKH**
	GRAND TOTAL (1)+(2)	**RS. 1000=00 LAKH (RS. 10 CRORE)**

कार्यवाही, निर्माण विभाग, विकास विभाग एवं रूसा सेल

4. शैक्षणिक सत्र 2020–21 में पूर्व में आमंत्रण हेतु चयनित अतिथि विद्वानों को शैक्षणिक कार्य कराये जाने पर विचार करना।

टीप:– शैक्षणिक कार्य हेतु पूर्व में चयन प्रक्रिया से आमंत्रण हेतु चयनित अतिथि विद्वानों को सत्र प्रारम्भ होने पर शैक्षणिक कार्य कराये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.07.2020 एवं 23.08.2020 की अनुशंसा पर विचार करना ।

निर्णय– शैक्षणिक कार्य हेतु पूर्व में चयन प्रक्रिया से चयनित अतिथि विद्वानों को सत्र प्रारम्भ करने पर शैक्षणिक कार्य कराये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.07.2020 एवं 23.08.2020 की अनुशंसा पर विचार कर मान्य करते हुये अनुमोदित किया गया।

कार्यपरिषद ने पूर्व में चयनित अतिथि विद्वानों के प्रकरण की गहन समीक्षा की तथा यह पाया कि पूर्व सत्र 2019–20 के माह मई एवं जून सहित 31.10.2020 तक कुल छः माह का भुगतान अद्यावधि लम्बित होने से कोरोना जैसी महामारी के कारण इस त्रासदी पूर्ण अवधि में उनकी आजीविका पर गंभीर संकट की स्थिति निर्मित हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा तद्विषयक विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.06.2020 के विषय क्र. 3 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदत्त समयावधि को परिवर्तित करते हुये, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग/सामान्य प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद कोविड–19 की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के नियमित एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अतिथि विद्वानों के व्यापक हित में यह निर्णय लेती है कि अतिथि विद्वानों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त मानदेय की शर्तो के अध्याधीन प्रति कालखण्ड की शर्त को शिथिल करते हुये अतिथि

बैठक दिनांक 7-12-2020

दिनांक 7-12-2020 को पूर्वान्ह 11:30 बजे प्रो॰ बी॰ आर॰ बी॰ माथुर कक्ष में कार्यपरिषद की आपात बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:—

1- प्रो॰ एन॰ पी॰ पाठक — कुलपति / अध्यक्ष

2- प्रो॰ पुष्पा ठाकुर — सदस्य

3- प्रो॰ अतुल पाण्डेय — सदस्य

4- डॉ॰ अंजू सिंह — सदस्य

5- डॉ॰ क्षितिज पुरोहित — सदस्य on line उपस्थित

6- डॉ॰ रवीन्द्र चौहान — सदस्य

7- डॉ॰ अजय सिंह — सदस्य

8- डॉ॰ के॰ त्रिपाठी — सदस्य

9- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा — सदस्य

10- संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा — सदस्य

11- कुलसचिव, डॉ॰ बृजेश सिंह — सचिव

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

ांक / प्रशासन / कार्य परिषद / 2020 / 24 दिनांक 8 दिसम्बर

कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 7 दिसम्बर 2020 का कार्यवाही वि

दिनांक 7 दिसम्बर 2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे प्रो. बी.आर.बी. माथुर कक्ष में कार्य परि आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1.	प्रोफेसर एन.पी. पाठक	कुलपति / अध्यक्ष	
2.	प्रो. पुष्पा ठाकुर	सदस्य	
3.	प्रो. अतुल पाण्डेय	सदस्य	
4.	डॉ. श्रीमती अंजू सिंह	सदस्य	
5.	श्री क्षितिज पुरोहित	सदस्य	ऑनलाईन माध्यम से उपि
6.	डॉ. अजय सिंह	सदस्य	
7.	डॉ. के.के. त्रिपाठी	सदस्य	
8.	डॉ. बृजेश सिंह, कुलसचिव	सचिव	

सर्वप्रथम कुलसचिव व्दारा सदन में उपस्थित माननीय कुलपति जी एवं अध्यक्ष तथा सभी का स्वागत किया तथा माननीय कुलपति जी से स्वीकृति उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

1. कार्यालय कलेक्टर जिला, रीवा के पत्र कमांक / खे.यु.क. / अधो. / 420 रीवा, दिनांक 28.11.2 संबध में खेल और युवा कल्याण विभाग, रीवा के निर्माणाधीन जिला खेल परिसर के निर्माण में कठिनाईयों के निवारण हेतु दिनांक 27.11.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की विवरण पर विचार करना ।

निर्णय– कार्यसूची के पद कमांक 1 के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा, व्दारा कुलसचिव को सम्बोधित पत्र कमांक / खे.यु.क. / अधी. / 420 दिनांक 28.11.2020 को सदन किया गया । पत्र में उल्लेखित खेल एवं युवा कल्याण विभाग, रीवा निर्माणाधीन जिला खेल प निर्माण में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु दिनांक 27.11.2020 को दोपहर 11.30 बजे राज (सर्किट हाउस) रीवा में आयोजित बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं खिल व्यापक हित के लिये हुये निर्णय का कार्य परिषद ने सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर उसके समस्त त संज्ञान में लिया तथा चर्चा उपरांत निर्णय के निम्नांकित बिन्दुओं पर अपनी सहमति व्यक्त की अग्रांकित है–

1– मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग का जिला खेल परिसर रीवा का निम प्रगति पर है। उपरोक्त खेल परिसर विन्ध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल परिसर है, जिसमें एथलेटि मीटर रनिंग ट्रैक के साथ फुटबाल, वालीवाल, बास्केटबाल, कबड्डी, खो–खो, बैडमिन्टन, टेबल–टेनि मार्शल आर्ट्स की सुविधा उपलब्ध होगी। यह खेल रीवा जिले के समस्त स्कूलों, कॉलेजों, खेल सं क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ ही साथ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विद्या लिए अत्यंत लाभदायी एवं उपयोगी होगा एवं विन्ध्य क्षेत्र के समस्त प्रतिभावान खिलाड़ियों के व्यकि विकसित करने में सहायक होगा। इस खेल परिसर के साथ, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, स्टेडियम भी समानान्तर स्थित होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिल स

2– निर्माणाधीन जिला खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार एथलेटिक्स, 400 मीट ट्रैक का निर्माण किया जाना है। उपरोक्त रनिंग ट्रैक / स्टैण्ड निर्माण किये जाने हेतु अवधेश प्र विश्वविद्यालय रीवा के किकेट स्टेडियम के पवेलियन के पीछे की 733 वर्गमीटर भूमि की आवश्य चर्चा की गई। चर्चा में किकेट स्टेडियम की रिक्त भूमि पर निम्न शर्तो के तहत खेल परिसर नि सहमति दी जानी प्रस्तावित है, ताकि जिले के समस्त खिलाडियों के साथ ही साथ विश्ववि खिलाड़ियों को समस्त खेलों का लाभ प्राप्त हो सके।

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में प्रस्तावित शर्ते निम्नानुसार हैं:–

1– उक्त भूमि पर स्वामित्व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का ही रहेगा ।

2– अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा क्रिकेट स्टेडियम के वर्तमान प्रवेश व्दार को आवश्यकतानुसार 733 वर्गमीटर क्षेत्रफल के अनुरूप दोनों स्टेडियमों को जोड़ते हुये विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिये जिला खेल परिसर में प्रवेश की सुविधा हेतु एक दूसरे के समक्ष एक– प्रवेश व्दार विश्वविद्यालय स्टेडियम तथा जिला खेल परिसर में आमने–सामने रखा जायेगा ।

3– जिला खेल परिसर में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के खिलाड़ियों को खेलने एवं प्रतियोगितायें आयोजित करने की निःशुल्क अनुमति होगी ।

4– उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय माननीय कार्य परिषद के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

उपरोक्त कार्यवाही को कार्य परिषद में खेल एवं युवा कल्याण विभाग व्दारा निर्माणाधीन जिला खेल परिसर, रीवा व्दारा वांछित 733 वर्ग मीटर भूमि के बदले विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली खेल सुविधाओं को उनके हितों के लिये एक महान अवसर निरूपित किया गया । इस प्रकरण की चर्चा उपरांत हुये निर्णय के कियान्वयन के संबंध में कार्य परिषद ने अधिनियम में प्रदत्त अपनी शक्तियों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24(viii) के अंतर्गत अपनी चल एवं अचल सम्पत्तियों के विश्वविद्यालय की ओर से अंतरित किये जाने के अधिकारों के तहत किसी भी अचल सम्पत्ति के अंतर्गत निम्नांकित प्रावधान– " to transfer any movable or immovable property on behalf of the University; Provided that no immovable of the University shall. except with the prior sanction of the State Government, be transferred by way of mortagages, sale, exchange, gift or otherwise; के तहत प्रस्ताव पर अपनी सैध्दांतिक सहमति व्यक्त करते हुये इस प्रावधान के आलोक में यह निर्णय लेती कि उक्त प्रस्ताव पर उपर्युक्त प्रावधानान्तर्गत राज्य शासन अर्थात् उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर तत्पश्चात् युवा कल्याण विभाग के साथ विश्वविद्यालय व्दारा MoU (Memorandum of Understanding) किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

(कार्यवाही– निर्माण विभाग)

2. कर्मचारी संघ (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के पत्र दिनांक 03.12.2020 में वर्ष 1995 में नियमित हुये कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय– कार्यसूची के पद कमांक 2 के अंतर्गत कर्मचारी संघ (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के पत्र कमांक/कर्म.संघ/2020/60 दिनांक 3 दिसम्बर 2020 के माध्यम से सेवा निवृत्ति के बाद मिलने वाले अवकाश नगदीकरण का लाभ वर्ष 1995 से नियमित वेतनमान प्राप्त कर रहे 84 कर्मचारियों को भी दिलाये जाने हेतु प्रकरण कार्य परिषद में प्रस्तुत कर निराकृत कराने हेतु प्राप्त आवेदन को बैठक में प्रस्तुत किया गया ।

कार्य परिषद ने सर्वप्रथम इन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के उपरांत अवकाश नगदीकरण की कार्यवाही से संबंधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के पृष्ठ कमांक 33 में कमांक (3) के बिन्दु (5) में वर्णित निम्नांकित नियम का भी अवलोकन किया जो इस प्रकार है– **"इस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की इन तदर्थ कर्मचारियों को कोई पात्रता नहीं होगी । यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे। पूर्व में अन्यथा निपटाये गये प्रकरणों को खोला नहीं जायेगा"** ।

उक्त प्रावधान के आलोक में कार्य परिषद 1995 से नियमित वेतनमान प्राप्त 84 कर्मचारियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लेती है कि उक्त प्रावधान पर पुनर्विचार करते हुये 1995 से नियमित वेतनमान के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के उपरांत अवकाश नगदीकरण का लाभ देने हेतु उक्त प्रावधान में परिवर्तन कर विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय। तदाशय का पत्र विश्वविद्यालय की ओर से मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्यवाही– कार्मिक विभाग)

3. आयुर्वेद विषय में पीएच.डी. पाठ्यक्रम मे प्रवेश संबधी प्रकरण पर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23.3.2020 के पद कमांक–03 के अनुसार गठित समिति की दिनांक 11.06.2020 को बैठक सम्पन्न हुई समिति समस्त तथ्यो से अवगत हुई । समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय– कार्यसूची के पद कमांक 3 के अंतर्गत आयुर्वेद विषय के पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रकरण पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 23.3.2020 के पद कमांक– 3 के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 11.6.2020 के कार्यवृत्त एवं अनुशसा पर कार्य परिषद व्दारा गहन विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद विषय की सत्र 2018–19 की आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में पूर्व में गठित आर.डी.सी. (Research Degree Committee) के व्दारा ही साक्षात्कार उपरांत अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के पीएच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीयन कराये जाने के लिये व्यापक छात्र हित में प्रकरण समन्वय समिति भोपाल की ओर अग्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

(कार्यवाही– शोध संचालनालय / अकादमिक विभाग)

4. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.02.2020, 16.03.2020, 21.04.2020 16.06.2020, 30.07.2020 एवं आपात बैठक दिनांक 15.04.2020 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– पद कमांक 4 के अंतर्गत विद्या परिषद की स्थायी समिति की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ रखे गये । कार्य परिषद व्दारा व्यापक संज्ञान लेते हुये विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.7.2020 के कार्यवृत्त को छोड़कर शेष कार्यवृत्तों का यथावत् अनुनोदन किया गया।

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.7.2020 के कार्यवृत्त के पद कमांक–9 के अंतर्गत विद्या परिषद के निर्णय में अग्रांकित शर्तो को विस्तार देते हुये अनुमोदित किया । विस्तार के बिन्दु इस प्रकार हैं–

1. महाविद्यालयों को निरीक्षण बिना सम्बध्दता प्रदान करने से पूर्व विगत सत्र में प्रदत्त सम्बध्दता में उल्लेखित शर्तो का पालन किये जाने की वचनबध्दता शपथ पत्र पर लिये जाने का निर्णय लिया गया ।

2. विश्वविद्यालय को अपने सम्बध्द महाविद्यालयों से सम्बध्दता शुल्क पर जीएसटी प्राप्त करने का प्रावधान हो गया है, अतः निधारित स्लैब की दर के अनुरूप सम्बध्दता शुल्क के साथ जीएसटी अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की जाती है, जिसके जमा होने के उपरांत ही सम्बध्दता प्रदान की जाय ।

(कार्यवाही– विकास विभाग / वित्त विभाग)

अंत में सभी सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापन पश्चात् बैठक के सम्पन्न होने की घोषणा की गई ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्य परिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म0प्र0
3. माननीया राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल, म0प्र0
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म0प्र0
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
7. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
8. संबंधित नस्ती.

8/12/2020
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2021/118 रीवा, दिनांक 25/3/2021

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 23 मार्च, 2021
कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 23 मार्च, 2021 दिन–मंगलवार पूवान्ह् 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	डॉ0 राजकुमार आचार्य, कुलपति		–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अतुल पाण्डेय		–	सदस्य
3.	डॉ0 अंजू सिंह	(आनलाईन माध्यम से)	–	सदस्य
4.	डॉ. क्षितिज पुरोहित	(आनलाईन माध्यम से)	–	सदस्य
5.	श्री रविन्द्र चौहान	(आनलाईन माध्यम से)	–	सदस्य
6.	डॉ0 के0के0त्रिपाठी		–	सदस्य
7.	श्रीमती सरोज गूजर		–	सदस्य
8.	श्रीमती संचिता सर्वटे		–	सदस्य
9.	अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा		–	सदस्य
10.	संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा		–	सदस्य
11.	श्री लाल साहब सिंह, कुलसचिव		–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने सदन में उपस्थित सभी माननीय कार्य परिषद सदस्यों का स्वागत, वन्दन एवं अभिनन्दन किया तथा सदन की सहमति से कुलसचिव से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आग्रह किया ।

1. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 23 मार्च, 2020 एवं आपात बैठक दिनांक 21 मई, 2020, 25 अगस्त 2020, 21 अक्टूवर 2020, 07 दिसम्बर 2020, 30 दिसम्बर 2020, 26 फरवरी 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 23.03.2020 एवं आपात बैठक दिनांक 21 मई 2020,25 अगस्त 2020,21 अक्टूवर 2020,07 दिसम्बर 2020, 30 दिसम्बर 2020, 26 फरवरी 2021 के कार्यवृत का सर्वसम्माति से अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही–प्रशासन विभाग

Sharmila kol

2. कार्यपरिषद की सामान्य बैठक दिनांक 23 मार्च, 2020 एवं आपात बैठक दिनांक 21 मई, 2020, 25 अगस्त 2020, 21 अक्टूबर 2020, 07 दिसम्बर 2020, 30 दिसम्बर 2020,26 फरवरी 2021 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को छोड़कर शेष बैठक के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही–प्रशासन विभाग

3. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.6.2020, 30.7.2020, 23.9.2020, 16.9.2020, 23.10.2020, 23.11.2020, 28.01.2021, 10.02.2021, एवं आपात बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2020 के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–अनुमोदन को मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही–विकास विभाग

4. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पी–एचडी0 उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 27.06.2020, 15.07.2020, 18.8.2020, 22.8.2020, 03.09.2020, 18.9.2020, 25.9.2020, 01.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020,19.10.2020, 28.10.2020, 07.11.2020, 18.11.2020,10.12.2020,17.12.2020,20.01.2021,01.02.2021,09.03.2021 एवं 22.3.2021 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–अनुमोदनों को मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गई ।

कार्यवाही–आकदमिक विभाग

5. वित्त वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021–22 के अनुमानित बजट प्रावधान को अंगीकृत करने हेतु स्वीकृति/अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः–वित्त वर्ष2019–20 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा तथा वित्तवर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2021–22 के अनुमानित बजट प्रावधान हेतु वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2021 की अनुशंसाए को मान्य करते हुए बजट को अंगीकृति करने हेतु स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही–वित्त विभाग

6. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठकों का कार्यवृत्त में परिनियम 27,28, से सम्बन्धित प्रकरणों को माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15 (4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन के सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–15 (4) के अन्तर्गत किए गए अनुमोदनों को मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही–विकास विभाग

Sharmila kol

7. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माणाधीन जिला खेल परिसर रीवा की वांछित 733 वर्गमीटर भूमि उपयोग की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माणाधीन जिला खेल परिसर रीवा की वांछित 733 वर्गमीटर भूमि उपयोग के स्वीकृत मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गई, लेकिन भूमि का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

कार्यवाही–यंत्री विभाग

8. प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 01.7.2019 से 30.6.2020 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही– प्रशासन विभाग

9. विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं अन्य विभागों तथा केन्द्रीय पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटल मोड में करने बावत् विचार विमर्श करना।

निर्णयः–सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं अन्य विभागों तथा केन्द्रीय पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों का डिजिटल मोड में संरक्षित करने हेतु स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही–परीक्षा विभाग/केन्द्रीय पुस्तकालय विभाग

पूरक कार्यवृत

1. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि के भुगतान पर विचार करना।

निर्णयः–विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को सातवे वेतनमान के एरियर्स की राशि के भुगतान को उनके निजी खातों में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही–वित्त विभाग

2. थाना भवन के लिये जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में विचार विमर्श करना।

निर्णयः–थाना भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है तथा स्थल चयन हेतु एक समिति गठित कर उसकी अनुशंसा अगली कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करें।

कार्यवाही–यंत्री विभाग

3. जिलाध्यक्ष, रीवा द्वारा दिनांक 01.10.2020 से प्रभावशील की गई दरों को विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभागी/मस्टर श्रमिकों पर लागू किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः–अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही –कार्मिक विभाग

Sharmila kol

4. श्री तेज बहादुर सिंह क्रीड़ा अधिकारी की अवमानना याचिका Cone-361/2020 में मान.न्या.द्वारा प्रदस्त निर्देश के परिपालन में 15 (4) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना ।

निर्णयः—मान.उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में 15 (4) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही हेतु सर्वानुमति से अनुमति प्रदान की जाती है। सूचना ग्रहण की गयी।

कार्यवाही—कार्मिक विभाग

5. डॉ. अजय सक्सेना की विभागीय जॉच समिति के प्रतिवेदन पर विचारोपरांत निर्णयार्थ।

निर्णयः—डॉ.अजय सक्सेना की विभागीय जॉच समिति की अनुशंसा/प्रतिवेदन को मान्य करते हुए उनकी बहाली की अनुशंसा को मान्य करती है, किन्तु उनकी बहाली मान.न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

कार्यवाही—कार्मिक विभाग

6. नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू करने पर विचार करना।

निर्णयः—नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा इस हेतु नोडल "एक्सिस बैंक " में खाता खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यवाही—वित्त विभाग

7. सहायक अधीक्षक पदनाम की स्वीकृति म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा से प्राप्त न होने के कारण परिनियम 31 में स्वीकृत पद सहायक वर्ग –1 मान्य किये जाने पर विचार करना।(शासनादेश संलग्न)

निर्णयः—सहायक अधीक्षक पद नाम की स्वीकृति म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त न होने के कारण परिनियम 31 में स्वीकृत पद सहायक वर्ग–1 मान्य किये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही —कार्मिक विभाग

8. यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजनान्तर्गत एम.फिल./पी–एच.डी. शोध कार्य हेतु SC/ST संवर्ग के शोधार्थियों हेतु विश्वविद्यालय को प्राप्त स्वीकृत छात्रवृत्ति कुल रुपये 2,70,97,500=00 पात्र शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उपरांत शेष राशि कुल रुपये 1,22,81,418=00 को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली" को निम्नांकित अनुसार वापस किये जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

Sharmila kol

क्र.	यूजीसी का स्वीकृति पत्र	सत्र	छात्रवृत्ति राशि	व्यय राशि	शेष	यूजीसी को प्रेषित किया गया उपयोगिता प्रमाणपत्र
1	F.16-07/2006 (SA-III) dt. 28-2-2007	2006-07 के शोधार्थियों हेतु	11,00,000	9,24,106	1,75,894	संलग्न।
2	F.16-07/2006 (SA-III) dt. 31-3-2009	2006-07 के शोधार्थियों हेतु	8,40,000	1,23,999	7,16,001	संलग्न।
3	F.16-521(SC)/2007 (SA-III) dt. 31-3-2008	2007-08 के शोधार्थियों हेतु	15,00,000	10,75,601	4,24,399	संलग्न।
4	F.16-521/2007(SA-III) dt. 31-3-2009	2007-08 के शोधार्थियों हेतु	14,00,000	4,14,193	9,85,807	संलग्न।
5	F.16-521(SC)/2007 (SA-III) dt. 31-3-2010	2007-08 के शोधार्थियों हेतु	25,00,000	7,71,840	17,28,160	संलग्न।
6	F.16-521(SC)/2007 (SA-III) dt. 27-4-2012	2007-08 के शोधार्थियों हेतु	20,00,000	13,06,930	6,93,070	संलग्न।
7	F.16-1017(SC)/2008 (SA-III) dt.24-11-2015	2008-09 के शोधार्थियों हेतु	24,00,000	14,63,418	9,36,582	संलग्न।
8	F.16-1017(SC)/2008 (SA-III) dt. 27-3-2009	2008-09 के शोधार्थियों हेतु	30,00,000	19,61,472	10,38,528	संलग्न।
9	F.16-1017(SC)/2008 (SA-III) dt.31-3-2011	2008-09 के शोधार्थियों हेतु	24,00,000	23,83,617	16,383	संलग्न।
10	F.14-510(ST)/2008(SA-III) dt. 27-3-2009	2008-09 के शोधार्थियों हेतु	5,00,000	3,19,436	1,80,564	संलग्न।
11	F.16-1285(SC)/2009 (SA-III) dt. 6-12-2010	2009-10 के शोधार्थियों हेतु	42,00,000	22,30,845	19,69,155	संलग्न।
12	F.16-1583(SC)/2010 (SA-III) dt. 18-7-2011	2010-11 के शोधार्थियों हेतु	12,50,000	12,47,301	2,699	संलग्न।
13	F.16-1583(SC)/2010(SA-III) dt. December 2018	2010-11 के शोधार्थियों हेतु	10,57,500	5,93,324	4,64,176	संलग्न।
14	F.16-7(SC)/2006 (SA-III) dt. 31-3-08		12,00,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	12,00,000	संलग्न।
15	F.14-1/2006 (SA-II) dt. 9-3-07		3,50,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	3,50,000	संलग्न।
16	F.14-1(ST)/2006(SA-III) dt. 31-3-08		4,00,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	4,00,000	संलग्न।
17	F.14-1(ST)/2006 (SA-III) dt. 31-3-09		2,00,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	2,00,000	संलग्न।
18	F.14-510(ST)/2008(SA-III) dt. 31-3-2010		4,00,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	4,00,000	
19	F.14-510(ST)/2008(SA-III) dt. 31-3-2011		4,00,000	UGC से चयनित सूची अप्राप्त।	4,00,000	
		Total	2,70,97,500/-	1,48,16,082	1,22,81,418	

निर्णयः—UGC नई दिल्ली द्वारा राजीवगॉधी नेशनल केलोशिप योजनान्तर्गत एम0फिल,पी0एच—डी0 शोधकार्य हेतु SC/ST संवर्ग के शोधार्थियों को प्रदान की गयी राशि की शेष राशि रू 1,22,81418/— UGC को वापस करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही—विकास विभाग/अधिष्ठाता छात्र कल्याण

9. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 98वीं बैठक दिनांक 21.02.2021 के निर्णयों की सूचना ग्रहण/अंगीकृत करना

निर्णयः—सूचना ग्रहण की गयी/अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कार्यवाही — प्रशासन विभाग

Sharmila kol

10. सत्र 2020–21 परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र अधिसूचना सूचनार्थ ।

निर्णयः–अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परीक्षा केन्द्र की अधिसूचना को मान्य करने के साथ–साथ शासकीय महाविद्यालय त्यौंथर को केन्द्र न बनाने का कोई आदेश/निर्णय नही है तो शास0महावि0 त्यौंथर को परीक्षा केन्द्र बनाने की सदन अनुशंसा करती है ।

कार्यवाही–परीक्षा विभाग

11. पेशन फन्ड हेतु कारपस फन्ड की पंचम किस्त की राशि रूपये 2.00 करोड़ (दो करोड़) उच्चशिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को भेजने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 04.02.2021 को दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः–मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गयी ।

कार्यवाही–वित्त विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण–

1. फनीचर्स,अलमीरा,बुककेस स्टूडेन्ट फर्नीचर एवं अन्य फर्नीचर क्रय हेतु निर्माता/उत्पादकों एवं उक्त की गुणवक्ता/Durability निर्धारित करने के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 19.03.2021 को मान्य करने पर विचार करना।

निर्णयः–फनीचर्स,अलमीरा,बुककेस स्टूडेन्ट फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु समिति की अनुशंसा दिनांक 19.03. 2021 को मान्य करते हुए स्वीकृति प्रदान करती है।

कार्यवाही–भण्डार विभाग

2. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.3.2021 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः–विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.3.2021 के अनुमोदन की सूचना ग्रहण की गयी।

कार्यवाही–विकास विभाग

3. MOU-Govt. Model Sc. Autonomous Science College Jabalpur (M.P.), AKS University Satna के Environmental Sciece तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुए के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः–MOU-Govt. Model Sc. Autonomous Science College Jabalpur (M.P.), AKS University Satna के Environmental Sciece तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग के मध्य MOU हस्ताक्षरित किये गए प्रस्ताव का अनुमोदन एवं अनुमति प्रदान की जाती है।

Sharmila kol

कार्यवाही–वायोटेक विभाग / पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग

4. श्री रामकुशल कोरी के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में प्रकरण सी.एम.हेल्पलाइन में लम्बित है, के संबंध में विचार करना।

निर्णयः–श्री रामकुशल कोरी के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, चूंकि इनका प्रकरण सी.एम.हेल्पलाइन में लम्बित है, उसको विश्वविद्यालय द्वारा, किये गये कार्य का नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया को वर्तमान तक कर दिया जाय तथा आगे के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–कार्मिक विभाग

अतः में मान0 अध्यक्ष / सदस्यों के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक को कार्यवाही सम्पन्न हुई।

25/3/21

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
3. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
8. संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव (प्रशासन)

Sharmila kol

बैठक दिनांक 18-9-2021

दिनांक 18-9-2021 को 12.00 बजे प्रो० बी० आर० बी० माथुर कक्ष में कार्यपरिषद की आपात बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुये:-

1. डॉ० राजकुमार आचार्य — कुलपति/अध्यक्ष (हस्ताक्षर) 18/9/21
2. प्रो० अतुल पाण्डेय — सदस्य Atul Pandey 18/9/21
3. प्रो० एन० पी० पाठक — सदस्य NPathak 18.9.21
4. डॉ० नागेश्वर अग्रवाल — सदस्य
5. डॉ० अंजू सिंह — सदस्य (हस्ताक्षर) 18/09/2021
6. डॉ० मृगेन्द्र सिंह — सदस्य (हस्ताक्षर) 18/9/21
7. डॉ० अजय सिंह — सदस्य (हस्ताक्षर)
8. डॉ० के० के० त्रिपाठी — सदस्य (हस्ताक्षर)
9. श्रीमती सरोज गूजर — सदस्य Saroj
10. श्रीमती सांचिता सर्वटे — सदस्य
11. अतिरिक्त संचालक उच्चशिक्षा — सदस्य R Shrivastava 18.9.21
12. संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा — सदस्य
13. डॉ० सुरेन्द्र सिंह परिहार — कुलसचिव/सचिव (हस्ताक्षर) 18/09/21

DR(Adm) तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 29/09/21

दिनांक ....

R/3633 29-9-21

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.09.2021 का निर्णय

1. पहले प्रस्ताव में College of education की प्रकिया का पालन करते हु विज्ञापन कर BEd, BPEd & MPEd पर Contract basis पर नियुक्ति की प्रकिया प्रा कर NCTE को सूचित किया जाय। यह कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा तत्काल पूरी जाय।

2. दोनों पक्षों को बुलाकर एक गठित समिति द्वारा विचार किया जाकर समिति प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर न्यू कर्मचारी संगठन की वैधानिकता पर अनुशंसा प्राप्त ली जाय, उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है–

R/3633 29-9-21

1. प्रो0 आर0एम0 मिश्र	–	संयोजक
2. प्रो0 अंजली श्रीवास्तव	–	सदस्य
3. प्रो0 आर0 एन0 सिंह	–	सदस्य
4. प्रो0 महेशचन्द्र श्रीवास्तव	–	सदस्य
5. श्रीमती नीरजा नामदेव	–	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद/2017/136 रीवा, दिनांक 13-12-2017

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12 दिसम्बर 2017 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 दिन–मंगलवार पूर्वान्ह् 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही –

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंह	—	सदस्य
3.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	—	सदस्य
4.	श्री डी0आर0 महोविया,सं0संचा0, कोष एवं लेखा	—	सदस्य
5.	श्री गजेन्द्र दुबे	—	सदस्य
6.	प्रो. कालिका प्रसाद यादव	—	सदस्य
7.	प्रो. विनोद कुमार श्रीवास्तव	—	सदस्य
9.	श्री लालसाहब सिंह, प्रभारी कुलसचिव	—	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया, तथा प्रो. मृणाल श्रीवास्तव को उनके कार्यकाल में किये गये सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त कुलसचिव जी से कार्यवाही प्रारम्भ करने का आग्रह किया–

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 एवं आपात बैठक दिनांक 10 नवम्बर 2017 के कार्यवृत्त का संपुष्टि करने पर विचार करना।

निर्णय– संपुष्टि की गई।

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 एवं आपात बैठक दिनांक 10 नवम्बर 2017 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–प्रशासन विभाग

3. अध्यादेश 30 (माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किये गये अनुमोदन) के अंतर्गत पीएच.डी. उपाधि धारकों की अधिसूचना दिनांक 23.10.2017, 07.11.2017 एवं 16.11.2017 की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः–सूचना ग्रहण की गई तथा निर्णय लिया गया कि 23 दिसम्बर 2017 को आयोजित दीक्षान्त समारोह में 18.11.2016 से 20.12.2017 तक के पी0एचडी0 उपाधिधारकों को, जिनकी उपाधि की अधिसूचना जारी हो चुकी है, आवेदन करने पर उपाधि वितरित की जाय।

कार्यवाही–अकादमिक विभाग

4. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 03.11.2017 एवं 17.11.2017 का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः—स्थाई समिति के कार्यवृत्त दिनांक 03.11.2017 एवं 17.11.2017 का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही—अकादमिक विभाग

5. दिनांक 23.12.2017 को होने वाले षष्ठम् दीक्षान्त समारोह में होने वाले व्ययभार की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः—23 दिसम्बर 2017 को आयोजित दीक्षान्त समारोह हेतु रूपये 7.00 लाख पुनर्नियोजित करने की स्वीकृति के साथ कुल राशि रूपये 15.00 लाख व्ययभार की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही—वित्त विभाग

6. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2016—17 का तैयार कर माननीय कुलपति जी से 15(4) के अनुमोदन उपरान्त म0प्र0 शासन को भेजा जा चुका है। जिसकी सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

निर्णयः—सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही—प्रशासन विभाग

7. समन्वय समिति की 93वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णयः— 93 वी बैठक के निर्णयों को कुलपति द्वारा 15(4) में अंगीकृत करते हुए अधिसूचित किया जा चुका है। अतः सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही प्रशासन विभाग

8. आगामी दीक्षान्त समारोह के गोल्ड मेडल समिति द्वारा अनुशंसित विनियम क्रमांक 22 में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर प्रस्तावित प्रावधान मान्य करने पर विचार करना —

क्र.	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
1.	यह पदक प्रसीडेण्ट ऑफ इंडिया, डॉ0 शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल कहलायेगा, जो स्वर्ण पदक के एक ओर अंकित होगा।	यह पदक प्रेसीडेण्ट ऑफ इंडिया (भूतपूर्व), डॉ0 शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल कहलायेगा, जो स्वर्ण पदक के एक ओर अंकित होगा।

निर्णयः— मान्य किया गया।

कार्यवाही प्रशासन विभाग

<u>पूरक :—</u>

1. परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति की अनुशंसा अनुसार सत्र 2017—18 के लिये परीक्षा केन्द्रों की सूची अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा केन्द्र/2017/1152 दिनांक 27.11.2017 को माननीय कुलपति के अनुमोदन के उपरांत जारी किया गया, इसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई। कार्यवाही परीक्षा विभाग

2. राज्यशासन द्वारा देय महगॉई भत्ते के आदेश को अंगीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही—कार्मिक विभाग

3. कर्मचारी संघ (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के मॉग पत्र दिनांक 11.12.2017 पर विचार करना।

माँग कमांक(1):—

विश्वविद्यालय में कार्यरत 27.07.1995 से नियमित किये गये कर्मचारियों का पेंशन फार्म भराकर कार्यपरिषद से मान्य उपरान्त म.प्र. शासन (पेंशन आयोग) को भेजा जाय।

निर्णयः—निर्णय लिया गया कि विस्तृत जानकारी के साथ मान्य करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

माँग कमांक(2):—

विश्वविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा गार्डो का पेंशन फार्म पूर्व भरा गया है तथा विश्वविद्यालय अंशदान भी भेजा जा रहा है, इस प्रकरण को पेंशन आयोग को पेंशन प्रदान करने हेतु पत्र भेजा जाय।

निर्णयः—निर्णय लिया गया कि विस्तृत जानकारी के साथ मान्य करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

माँग कमांक(3):—

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का पेंशन फार्म पूर्व में भराया गया है, तथा विश्वविद्यालय की कटौती की जा रही है जो शासन (पेंशन आयोग) को भेजा जाना है, जिस हेतु पत्र लिखा जाय, जिसका निराकरण किया जाय।

निर्णयः—निर्णय लिया गया कि विस्तृत जानकारी के साथ मान्य करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

माँग कमांक(4):—

श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी सेवा निवृत्त शोध सहायक व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के पेंशन के निराकरण हेतु शासन से पत्राचार किया जाय।

निर्णयः—तथ्यात्मक जानकारी के साथ शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय कि सेवा निवृत्त के बाद पेंशन हेतु विकल्प मान्य होगा अथवा नहीं।

माँग कमांक(5):—

विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को म.प्र. शासन के आदेशानुसार स्थायी कर्मी के आदेश को अंगीकृत कर शासन को सूचित किया जाय।

निर्णयः—स्मरण—पत्र शासन को भेजा जाय।

माँग कमांक(6):—

विश्वविद्यालय में कार्यरत 05 कर्मचारियों की रोकी गई वेतनवृद्धि तत्काल बहाल की जाय।

निर्णयः— कार्यपरिषद द्वारा पूर्व के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही—वित्त/कार्मिक विभाग

4. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2017 के निर्णय का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः—स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2017 के निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही—अकादमिक / विकास विभाग

5. दीक्षांत समारोह हेतु बजट शीर्ष में राशि कम होने के कारण बजट शीर्ष 27(5) से 07 लाख रूपये पुर्ननियोजित करने पर विचार करना।

निर्णयः—कार्यसूची के बिन्दु कमांक 05 में निर्णय लिया जा चुका है।

6. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की षष्ठम दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा पर विचार करना।

टीपः— स्थाई समिति द्वारा विचारोपरांत निम्न महत्वपूर्ण महानुभावों को डी.लिट की मानद उपाधि से विभूषित करने की अनुशंसा की गई है:—

1. विधि संकाय में माननीय न्यायाधिपति श्री अजीत सिंह, मुख्य न्यायाधिपति गोहाटी हाईकोर्ट
2. कला संकाय में पद्‌मभूषण माननीय श्री छन्नू लाल मिश्र वाराणसी
3. कला संकाय में पद्‌मश्री माननीय श्री रामबहादुर राय नई दिल्ली
4. समाजविज्ञान संकाय में माननीय श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली।

निर्णयः—स्थाई समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए सर्व सम्मति से मानद उपाधि से विभूषित करना मान्य किया गया।अनुशंसा अनुमोदनार्थ माननीय कुलाधिपति जी को प्रेषित कर मान्य करने का अनुरोध किया जाय।

कार्यवाही—उपाधि कक्ष

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

12.12.17

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक / प्रशासन / कार्यपरिषद् / 2017 / 137 रीवा, दिनांक 13-12-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
2. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
4. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह वि0वि0, रीवा
6. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक
7. संबंधित नस्ती

12.12.17

उप कुलसचिव (प्रशासन)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2017/113 रीवा, दिनांक 12-10-2017

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2017 का कार्यवृत्त

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 दिन–बुधवार पूर्वान्ह् 11.30 बजे प्रो0 बी0आर0बी0 माथुर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1.	प्रोफेसर के0एन0 सिंह यादव, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र	–	सदस्य
3.	प्रोफेसर मृणाल श्रीवास्तव	–	सदस्य
4.	प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ0 अरुण कुमार त्रिपाठी	–	सदस्य
6.	डॉ0 डी0आर0 महोविया, सं0संचा0, कोष एवं लेखा	–	सदस्य
7.	श्री गजेन्द्र दुबे	–	सदस्य
8.	डॉ.विनोद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा	–	सदस्य
9.	डॉ0 एस0एस0 तिवारी	–	सदस्य
10.	श्रीमती रेखा किशोरे	–	सदस्य
11.	डॉ0 आनंद कुमार काम्बले, कुलसचिव	–	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने कार्यपरिषद की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरान्त कुलसचिव जी से कार्यवाही प्रारम्भ करने का आग्रह किया–

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णयः–कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

2. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2017 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– अध्यक्ष की अनुमति से आयटम क्रमांक 05 में संशोधन उपरान्त पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – प्रशासन विभाग

3. अध्यादेश 30 के अंतर्गत पीएच.डी. उपाधि धारकों की सूची 18.07.2017, 25.07.2017, 14.08.2017, 23.08.2017, 07.09.2017, 14.09.2017 एवं 21.09.2017 का अनुमोदन माननीय कुलपति जी द्वारा 15(4) में किया गया है, जिसकी सूचना ग्रहण करना।

निर्णय– सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

4. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017, 18.07.2017, 14.08.2017, 25.08.2017 एवं 08.09.2017 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन करना।

निर्णय– विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2017, 18.07.2017, 14.08.2017, 25.08.2017 एवं 08.09.2017 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

पूरक कार्यसूची–

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (1–श्री बैद्यनाथ साकेत, विभा0अधिकारी 2–श्री प्रेमलाल कोल, अधीक्षक 3–श्री आदित्य प्रताप सिंह, वरि0कार्य सहायक 4–श्री अशोक कुमार वर्मा, कार्य सहायक एवं 5–श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे, भृत्य) की संचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धि बहाल करने पर विचार करना।

निर्णय--निर्णय लिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का अवलोकन करते हुए प्रशासनिक स्तर पर निराकरण किया जाय तथा अंतिम निर्णय के पूर्व इस सम्बन्ध में विधिक राय भी ली जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों को राज्य शासन के आदेश अनुसार सातवें वेतनमान को अंगीकृत करते हुए कुलपति जी द्वारा 15(4) के अनुमोदन दिनांक 14.09.2017 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय–कुलपति जी द्वारा 15(4) के तहत 7वें वेतनमान की प्रदान की गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण की गई। इस सम्बन्ध में शासन को सूचित किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

3. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु गठित अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा व निर्णय दिनांक 18.01.2017 एवं तदनुसार कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक/2017/112 दिनांक 20.02.2017 द्वारा समयमान वेतनमान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है, की सूचना ग्रहण करते हुए राज्य शासन के आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय– विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु गठित अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा व निर्णय दिनांक 18.01.2017 एवं तद्नुसार कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक/2017/112 दिनांक 20.02.2017 द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है, की सूचना ग्रहण करते हुए राज्य शासन के आदेश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के जो पदनाम शासनादेश में सम्मिलित नहीं हैं उनको शामिल करते हुए तत्सम्बन्धी पत्र प्रेषित किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

4. विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्य सहायकों को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति द्वितीय समयमान वेतन (वेतनमान 5500–9000) दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय–प्रकरण मंत्रालयीन वेतनमान से सम्बन्धित है अतः शासन से पत्र द्वारा मार्गदर्शन एवं स्वीकृति प्राप्त की जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

5. अभ्यर्थी श्री कृष्णकान्त गौतम के आवेदन दिनांक 06.07.2017 के अनुसार एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के निर्णय पर विचार करना।

निर्णय–समिति के निर्णय को मान्य किया गया। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाय।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक/सी 13011/161/2012–बीईजी दिनांक 08 अगस्त 2017 पर विचार करना।

निर्णय–माननीय कुलपति जी द्वारा पत्र पटल पर प्रस्तुत किया गया। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में राजभवन से परामर्श प्राप्त किया जाय।

कार्यवाही – कुलपति सचिवालय

7. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2017, 22.09.2017 एवं 10.10.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.08.2017, 22.09.2017 एवं 10.10.2017 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकामिक विभाग

8. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2017 में लिये गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय– विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – अकादमिक विभाग

14. श्री रामकृपाल वर्मा, सहा0 अधीक्षक के पत्नी के स्तन कैंसर बीमारी के उपचार के चिकित्सा देयक कार्या0 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग, रीवा(म0प्र0) के पत्र क्रमांक कार्योत्तर स्वीकृति/2017/5284 रीवा, दिनांक 15.09.2017 के द्वारा रुपये– 39,812/– (उन्तालीस हजार आठ सौ बारह रुपये मात्र) परीक्षण उपरान्त प्राप्त हुआ है। भुगतान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय– रुपये– 39,812/– मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण –

1. विश्वविद्यालय में चालकों (ड्राईवरों) की संविदा नियुक्ति के संबंध में।

निर्णय– विश्वविद्यालय में वाहन चालकों (ड्राईवरों) के रिक्त पदों एवं वाहन चालकों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं गोपनीय शाखा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतः कार्यपरिषद की अनुशंसा के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध चार संविदा वाहन चालक रखने की अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये।

कार्यवाही – कार्मिक विभाग

2. प्री0 पीएच0डी0 कोर्स वर्क का शुल्क वापस किये जाने के संबंध में।

टीप– शोध संचालनालय के प्रस्ताव अनुसार विनियम में शुल्क वापसी संबंधी प्रस्ताव न होने की स्थिति में प्री0 पीएच0डी0 के कोर्स वर्क में सम्मिलित न होने पर राशि वापसी हेतु कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय–शुल्क वापसी के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया।

1. प्रो.जे.पी.सिंह, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, गणितीय विज्ञान विभाग — संयोजक
2. प्रो. ए.पी.मिश्र, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग — सदस्य
3. डॉ.विनोद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग — सदस्य
4. डॉ.पुष्पा सोनवानी, वित्त नियंत्रक — सदस्य

समिति का प्रतिवेदन कार्यपरिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – शोध संचालनालय

अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा बैठक के दौरान छात्रों द्वारा की गई अभद्रता एवं प्रदर्शन पर रोष व्यक्त किया गया तथा सीढ़ियों के पास चैनल गेट लगवाने का प्रस्ताव दिया गया। कुलसचिव द्वारा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

कार्यवाही–निर्माण विभाग

अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रशासन/कार्यपरिषद्/2017/114 रीवा, दिनांक 12.10.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल (म0प्र0)
2. कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल (म0प्र0)
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
5. विभागाध्यक्ष, समस्त प्रशासकीय एवं शैक्षणिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
6. वित्त नियंत्रक, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)
7. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

12.10.17

उप कुलसचिव (प्रशासन)